माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2024–25 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

1. पिछले साल प्रदेश में अभूतपूर्व बरसात के कारण अनेक प्रदेशवासी असमय ही काल का ग्रास बन गए। मैं, सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनके परिजनों के प्रति प्रदेश सरकार तथा इस माननीय सदन की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। इस वर्षा के कारण प्रदेश में जान और माल दोनों का ही व्यापक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई में समय लगेगा।

2. यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है। गत् वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि जनसेवा के लिए **'अच्छे शासन (good Government)'** के साथ **'अच्छे प्रशासन (good governance)'** की ज़रूरत है, और यह भी कहा था कि हमें हर क्षेत्र में समय के अनुसार बदलाव लाना होगा। हमने इस बदलाव की शुरूआत कर दी है। मेरी सरकार ने कार्यभार सम्भालते ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। अब तक, 1 लाख 15 हज़ार कर्मचारियों ने OPS को चुना। OPS में आए सभी कर्मचारी General Provident Fund (GPF) subscription प्राप्त कर चुके हैं। NPS से OPS में आए लगभग 5 हज़ार कर्मचारियों को रिटायरमैंट के बाद OPS के अनुसार Pay and Pension Orders (PPOs) जारी किये गए हैं। युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की 'स्टार्ट–अप योजना' शुरू कर दी गई है। इस योजना के दो भागों क्रमशः 'राजीव गांधी स्वरोज़गार योजना' के अन्तर्गत 50 प्रतिशत् उपदान पर ई–टैक्सी और 'राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना' के

अन्तर्गत निजि भूमि पर 50 प्रतिशत् उपदान पर 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने का प्रावधान है तथा इनका कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। तीसरे और अंतिम चरण की योजना का वर्णन इस अभिभाषण में किया गया है। प्रदेश की लगभग 2 लाख 37 हज़ार महिलाओं की मासिक पेंशन 1,150 रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रुपये कर दी गई है। लाहौल–स्पिति की सभी महिलाओं को पन्द्रह सौ रुपये प्रतिमाह इसी वित्तीय वर्ष से मिलने आरम्भ हो गए हैं। हम चरणबद्ध तरीके से, प्रदेशवासियों के साथ चुनाव से पूर्व किये गए वायदों को पूरा करेंगे लेकिन हमें समझना होगा कि इसके लिए पुराने समय के नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं से काम नहीं चल सकता। सरकार को वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने संगठन, संरचना, तकनीक और अपने आचार व्यवहार को बदलना होगा। प्रदेश सरकार ने गत् एक वर्ष में इस दृष्टि से बहुआयामी और बुनियादी परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ की है। इन परिवर्तनों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। **'व्यवस्था परिवर्तन'** की यह प्रक्रिया न केवल जारी रहेगी बल्कि इसे और तेज़ किया जाएगा।

3. 21वीं सदी में अच्छी सरकार और सुशासन की अवधारणा पुराने विचारों और प्राचीन संस्थाओं से तय नहीं हो सकती। 21वीं सदी के दूसरे दशक के 5वें वर्ष में प्रवेश करते समय हमें पूरी दुनिया की वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में सोचने की आवश्यकता है।

4. अध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि आज Global World में दुनिया के सभी संघर्षों, युद्ध और ज्वलंत मुद्दों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। गाज़ा पट्टी में इज़राईल–फिलिस्तीन संघर्ष हो या युक्रेन

युद्ध, इनका असर किसी न किसी तरह हमारे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है।

5. वैसे तो परिस्थितियों और अवसरों में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है किन्तु हर बदलाव की एक विशेषता होती है। वर्तमान समय में जहाँ एक ओर विश्व का बढ़ता औसत तापमान और उसके दुष्प्रभाव जैसी चुनौतियां हैं, वहीं Disruptive Technologies के नैतिक प्रयोग से बेहतरी लाने की अपार सम्भावनाएं हैं। हमारी सरकार Artificial Intelligence के प्रयोग से उपलब्ध अवसरों पर गम्भीरता से काम करेगी। इसके माध्यम से समग्र विकास और जन कल्याण सुनिश्चित किया जाएगा जोकि प्रदेश की **'आत्मनिर्भरता'** की ओर हमारी यात्रा को गति देगा।

6. अध्यक्ष महोदय, विकास का रास्ता कठिन है, इसमें बाधाएं भी हैं, परन्तु हम किसी भी बाधा को विकास के रास्ते में रूकावट नहीं बनने देंगे। कठिन समय में कठिन निर्णय लेने की क्षमता का नाम ही सुशासन है। मेरी सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। गत् वर्ष की प्राकृतिक आपदा के दौरान हमने यह क्षमता प्रदर्शित भी की है। नीति आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं द्वारा की गई प्रशंसा के साथ–साथ विश्व बैंक द्वारा भी हमारी सरकार द्वारा किये गए राहत कार्यों की सराहना की गई है।

7. सरकार ने आपदा प्रभावितों को तुरन्त राहत पहुँचाने के लिए वर्षों से चले आ रहे राहत एवम् पुनर्वास नियमों में बदलाव किया और 4 हज़ार 500 करोड़ रुपये की विशेष राहत पैकेज जारी की। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार को अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा के बाद भी केन्द्र से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई। परन्तु फिर भी हमने प्रदेश स्तर पर अपनी प्राथमिकताएं तय कीं और हर प्रभावित व्यक्ति को यथा–सम्भव सहायता प्रदान की। हमने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली

राशि को 1 लाख 30 हज़ार रुपये से बढ़ा कर 7 लाख रुपये किया जोकि अभूतपूर्व बढ़ौतरी है। इसी प्रकार कच्चे घर के आंशिक नुकसान के मुआवज़े को 6 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया है। दुकानों और ढाबों के नुकसान पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को चार गुणा बढ़ाकर 25 हज़ार रुपये से 1 लाख रुपये किया और गौशालाओं के नुकसान पर मिलने वाली राहत राशि को सिर्फ 3 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपये कर दिया। इतना ही नहीं हमने आपदा प्रभावित परिवारों को घर किराये पर लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हज़ार रुपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्र में 10 हजा़र रुपये प्रतिमाह की राशि मंजूर की। इस बढ़ी हुई सहायता राशि की मदद से 2 हज़ार 968 लाभार्थियों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए, 10 हज़ार से अधिक लाभार्थियों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान की मुरम्मत के लिए, 3 हज़ार 648 लाभार्थियों को गौशालाओं के लिए तथा लगभग 1 हज़ार 800 लाभार्थियों को पशुधन के नुकसान की प्रतिपूर्ति के रूप में लाभ पहुँचाया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 2 हज़ार 600 किसानों को उनकी फसल और जमीन को हुए नुकसान के लिए तथा 507 दुकानों व ढाबों की मुरम्मत के लिए सहायता प्रदान की गई। अन्य सभी लाभार्थियों को मिलाकर हमारी सरकार द्वारा 22 हज़ार 130 लाभार्थियों को तुरन्त राहत सहायता पहुँचायी गई। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 31 मार्च, 2024 तक LPG Connection तथा खाने–पीने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है तथा सम्भवतः किसी भी आपदा की स्थिति में पूरे देश में सबसे अधिक liberal financial package रही है।

8. हमारी सरकार केवल और केवल जन कल्याण के लिए सत्ता में आई है। मैंने बार–बार कहा है कि

हम सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की तकदीर बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। हम प्रदेश के हर नागरिक के दूरगाामी हित को ध्यान में रख कर कार्य कर रहे हैं। समाज के उपेक्षित, वंचित और हाशिये पर रहने वाले लोग हमारे लिए प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं।

9. 'मुख्य मन्त्री सुख आश्रय योजना' समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की मेरी सरकार की नीयत और नीति का एक उदाहरण है जिसके तहत 4 हज़ार से अधिक बच्चों को 'Children of the State' के रूप में अपनाया गया है। इस योजना के माध्यम से हम हर प्रदेशवासी को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार हर समय प्रत्येक प्रदेशवासी के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए वचनबद्ध है।

10. अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम है लोगों के रोज़मर्रा जीवन में सरकार के साथ सम्बन्धों में सुधार हो, नियमों, प्रक्रियाओं को सरल बनाए और सरकारी सेवाओं को घर द्वार पर उपलब्ध करवाये। आम आदमी को ज़मीन से जुड़े मामलों में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और जटिल प्रक्रियाओं के कारण मुश्किलों का सामना न करना पड़े इसलिए हमने राजस्व विभाग में विशेष अदालतों का आयोजन प्रारम्भ किया है। इन विशेष अदालतों में अभी तक 89 हज़ार 91 इन्तकालों तथा तकसीम से सम्बन्धित लगभग 6 हज़ार मामलों का निपटारा किया गया जो वर्षों से लम्बित थे। हमारी सरकार द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से Forest Clearances से सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया। जिसके फलस्वरूप लगभग 10 वर्षों से अधिक लम्बित जल विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के 58 प्रस्तावों में पिछले 1 वर्ष के दौरान Forest Clearances पर सैद्धान्तिक मंजूरी और 71 प्रस्तावों पर भारत सरकार की अंतिम मंजूरी प्राप्त की गई। सरकार द्वारा NGT के 'Development Plan for Shimla Planning Area (2041)' पर

किये गए फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सशक्त चुनौती दी गई। हमारे प्रयासों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NGT के फैसले को पलट कर 'Development Plan for Shimla Planning Area (2041)' पर मोहर लगाई गई जिससे शिमला निवासियों को राहत मिली है। इसी ऐतिहासिक फैसले के कारण जाठिया देवी में एक आधुनिकतम township बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है।

11. मेरी सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक 'हरित ऊर्जा राज्य' बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश पहल करने वाला देश का अग्रणीय राज्य है। हमने, प्रदेश में 6 'ग्रीन कॉरिडोर' स्थापित किये हैं। हिमाचल ने Green Hydrogen और Ammonia Project के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिससे 4 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा 3 हज़ार 500 से अधिक प्रदेशवासियों को रोज़गार मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हिमाचली युवाओं को e-vaahan पर 50 प्रतिशत् subsidy देने का निर्णय लिया है। इस योजना को लेकर युवाओं में बहुत उत्साह है। इसी प्रकार, सौर ऊर्जा परियोजनाओं, Roof Top Solar Plants तथा गैर परम्परागत ऊर्जा आधारित निवेश को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।

12. कुछ वर्ष पहले तक हिमाचल प्रदेश 'देश के बिजली राज्य' के रूप में जाना जाता था। परन्तु, पूर्व में अपनाई गईं गलत नीतियों के कारण एक तरफ नई बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के उत्साह में कमी आई है और दूसरी तरफ पूर्व सरकारों द्वारा जिन अनुबन्धों पर हस्ताक्षर किये गए हैं उनकी कुछ बातें प्रदेश के हित में नहीं हैं। इन नीतियों में और भी सुधार और बदलाव की आवश्यकता है। हरित ऊर्जा देश और दुनिया का भविष्य है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है। इस दिशा में निवेश और रोज़गार की

भी अपार सम्भावनाएं हैं। मेरी सरकार इस क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

13. अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था परिवर्तन समय की मांग है। किसी भी समाज को प्रगति के लिए परिस्थितियों के अनुरूप अपने लिए सही रास्ते का चुनाव करना समय की आवश्यकता है। इतिहास साक्षी है कि जब–जब बड़े बदलाव की ज़रूरत पड़ती है तब–तब परम्परागत तौर तरीकों को बदलना पड़ता है। इनसे थोड़े समय के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। परन्तु यह व्यवधान अस्थाई होता है और इसके बाद ही नव–निर्माण सम्भव होता है। आज का समय हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व से यही मांग कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हम सभी चुनौतियों को अवसर में बदलेंगे और इस बदलाव की सहायता से समृद्ध एवम् सम्पन्न हिमाचल की गाथा लिखकर '**आत्मनिर्भरता**' की ओर बढ़ेंगे।

14. अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने आने वाले 10 वर्षों में समृद्ध और '**आत्मनिर्भर हिमाचल**' की जो परिकल्पना की हैं, उसके मुख्य बिन्दु हैंः

- **'आत्मनिर्भर हिमाचल'**
- समृद्ध किसान हिमाचल
- हरित और स्वच्छ हिमाचल
- बिजली राज्य हिमाचल
- पर्यटन राज्य हिमाचल
- कुशल और दक्ष हिमाचल
- स्वस्थ एवम् शिक्षित हिमाचल
- निवेशक मित्र हिमाचल
- नशा मुक्त हिमाचल
- अवैध खनन मुक्त हिमाचल
- समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल

15. यह सम्पन्न, समृद्ध, सुसंस्कृत, स्वस्थ, समर्थ, सबल और **'आत्मनिर्भर हिमाचल'** की परिकल्पना है। इस बदलाव का नेतृत्व प्रदेश के ऊर्जावान युवा और सशक्त महिलाएं करेंगी। यह ऐसे हिमाचल की तस्वीर है जिसमें एक छोर पर गाँव के स्तर पर कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन एवम् सहायक क्षेत्रों में एकीकृत विकास की पहल से किसान परिवारों की आय में निश्चित वृद्धि होगी वहीं दूसरे छोर पर हिमाचल के शिक्षित, कुशल और आधुनिक तकनीक में दक्ष युवक और युवतियां प्रदेश, देश और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हमें स्थानीय ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा दुग्ध उत्पादन पर आधारित **'आत्मनिर्भर'** अर्थव्यवस्था के निर्माण से लेकर आधुनिकतम तकनीक के उपयोग तक end to end, eco-system का निर्माण करना है। इस बजट के माध्यम से मैं **'आत्मनिर्भर हिमाचल'** की कल्पना को साकार करने का प्रारूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सभी आवश्यक बदलाव तथा structural सुधार 2027 तक पूरे कर लिए जाएंगे। इन सुधारों के सकारात्मक परिणाम कुछ ही समय बाद आने शुरू हो जाएंगे जिसके साथ ही **'आत्मनिर्भर हिमाचल'** की परिकल्पना को 2032 तक पूरी करने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाएगी।

16. हमारी सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिली प्रतिकूल वित्तीय परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। पिछली सरकार द्वारा वित्तीय कुप्रबन्धन और फिजूलखर्ची के कारण हमारी सरकार को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में गलत नीतियों के चलते आज ऋण के रूप में 87 हज़ार 788 करोड़ रुपये की कुल देनदारियां उत्पन्न हो गई हैं। 2018 में कुल देनदारियां 47 हज़ार 906 करोड़ रुपये थी जोकि 2023 में बढ़कर 76 हज़ार 651 करोड़ रुपये हो चुकी थीं। पूर्व सरकार ने हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें अपने कार्यकाल के अंत में लागू की जोकि

पहले भी लागू की जा सकती थीं। इस विलम्ब के कारण कर्मचारियों के वेतन के arrears बढ़ते चले गए और उनकी देनदारी हमारी सरकार के सुपुर्द कर दी गई। लेकिन वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के कारण विकास की गति को धीमा नहीं होने दिया। हमने सत्ता सम्भालते ही कड़े फैसले लेते हुए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास शुरू कर दिये। State Excise Policy में बदलाव के कारण 2023–24 में State Excise Duty में पिछले वर्ष की तुलना में 359 करोड़ रुपये की वृद्धि अपेक्षित है। पिछले वर्ष 1 हज़ार 370 करोड़ रुपये VAT के रूप में प्राप्त हुए थे जोकि 2023–24 के अंत तक 1 हज़ार 773 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार State Excise Duty तथा VAT में लगभग 22 प्रतिशत् की वृद्धि अनुमानित है। Milk Cess के माध्यम से लगभग 116 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार से जुटाए गए संसाधनों को प्रदेशवासियों के विकास तथा कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी सरकार प्रदेश को **'आत्मनिर्भर'** बनाने की दिशा में हर सम्भव प्रयास करेगी चाहे इसके लिए कड़े से कड़े निर्णय लेने पड़ें।

17. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को **'आत्मनिर्भर'** बनाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता रहेगी। हमारी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को **'Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)'** के आधार पर हाल ही में आई आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9 हज़ार 906 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के NPS से OPS में आए कर्मचारियों की contribution के लगभग 8 हज़ार करोड़ रुपये भारत सरकार के पास पड़े हैं। 'Bhakra-Beas Management Board' की विभिन्न परियोजनाओं में हिस्से के रूप में प्रदेश सरकार को लगभग 4 हज़ार 500 करोड़ रुपये प्राप्त होने शेष हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रदेश सरकार को 22 हज़ार 406 करोड़

रुपये अतिरिक्त प्राप्त हो सकते हैं। मैं, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को **'आत्मनिर्भरता'** की ओर ले जाने के लिए हम सब मिलकर इस राशि को शीघ्र पाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयत्न करें।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

18. अध्यक्ष महोदय, 2023-24 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.3 प्रतिशत् की दर से बढ़ने का अनुमान है। सभी क्षेत्रों में 5 प्रतिशत् या उससे अधिक की वृद्धि दर अनुमानित है। किन्तु कृषि क्षेत्र में यह वृद्धि दर केवल 1.8 प्रतिशत् अनुमानित है, जोकि कृषि क्षेत्र में गम्भीर समस्याओं की ओर इशारा करती है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था

19. अध्यक्ष महोदय, 2023-24 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2022-23 के दौरान दर्ज 6.9 प्रतिशत् की तुलना में 7.1 प्रतिशत् रहने का अनुमान है। 2023-24 के दौरान हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 35 हज़ार 199 रुपये रहने का अनुमान है। 2023-24 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 7 हज़ार 430 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

विकास बजट

20. 2024-25 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9 हज़ार 990 करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। 'अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम' के लिए 2 हज़ार 516 करोड़ रुपये, 'जनजातीय विकास कार्यक्रम' के लिए 899 करोड़ रुपये तथा 'पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के लिए 110 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजनाओं के लिए 5 हज़ार 280 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित किये गए हैं।

21. प्रदेश के विकास में आ रही चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए योजना विभाग में एक **"Himachal Pradesh Transformation Cell (HPTC)"** की

स्थापना की जाएगी। यह Cell स्थानीय, राष्ट्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर best practices के आधार पर प्रदेश के विकास को गति देने के लिए सुझाव देगा। इसके साथ ही विकास प्रक्रिया की monitoring तथा evaluation के लिए योजना विभाग में **"Sustainable Development Goals Coordination Centre"** की स्थापना की जाएगी। ये दोनों इकाईयाँ आगामी वित्तीय वर्ष से कार्य करना आरम्भ कर देंगी।

कृषि/Value addition/पशुपालन एवं गौ–संरक्षण

22. अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जोकि प्रदेश की लगभग 69 प्रतिशत् जनसंख्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। प्रदेश के कृषकों की आय में वृद्धि के लिए हमारी सरकार सदैव ही प्रतिबद्ध रही है।

23. मैं, प्राकृतिक खेती में स्वरोज़गार को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 680 करोड़ रुपये की 'राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना' के तीसरे चरण में एक नई योजना **''राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट–अप योजना''** की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में, प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को **'ज़हर मुक्त खेती'** के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। जो किसान पहले से ही खेती कर रहे हों उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी किसान इस योजना से जुड़ते रहेंगे तथा गेहूँ में यूरिया और 12–32–16 और मक्की में यूरिया खाद का इस्तेमाल न करके गोबर का इस्तेमाल करेंगे उनका अधिकतम 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की घोषणा करता हूँ। बेरोज़गार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूँ को 40 रुपये प्रति किलोग्राम तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के MSP पर खरीदा जाएगा। हमारी सरकार द्वारा दिये जाने वाला यह MSP पूरे देश

में सबसे अधिक है। प्रदेश में प्राकृतिक तकनीक से लगभग 37 हज़ार मिट्रिक टन से अधिक गेहूँ का उत्पादन किया जा रहा है। हिमाचल को **'आत्मनिर्भर'** बनाने की दिशा में हमारी सरकार का यह एक और प्रयास है। इससे प्राकृतिक खेती करने वालों को एक सुरक्षा चक्र मिलेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युवा कृषि क्षेत्र में स्वरोज़गार के लिए प्रेरित होंगे। इससे 15 हज़ार एकड़ की भूमि को Web Portal के माध्यम से प्राकृतिक खेती भूमि के रूप में certify किया जाएगा। इसके अन्तर्गत 10 नए 'Farmer Producer Organizations (FPOs)' गठित किये जाएंगे। 2024–25 में, इस पर 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इसके साथ ही, फैंसिंग के लिए जालीदार बाड़ तथा कांटेदार तार लगाने के लिए 10 करोड़ रुपये किसानों को सहायता के रूप में व्यय किये जाएंगे।

24. मैं, 'हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन' के अन्तर्गत 3 से 5 साल की अवधि में 2 हज़ार 500 कृषि क्लस्टर समूहों को समान रूप से विकसित करने की घोषणा करता हूँ। इस मिशन के अन्तर्गत climate के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में high value फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे कृषकों की आय में कम से कम समय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके।

25. वर्ष 2023 को पूरे विश्व में 'International Year of Millets' के रूप में मनाया गया। प्रदेश में मोटे अनाज (Millets) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी जिसके माध्यम से प्रदेश के किसानों तथा अन्य प्रदेशवासियों को मोटे अनाज की सांस्कृतिक महत्ता तथा nutritional value के बारे में सजग किया जाएगा।

26. 2024–25 में 'JICA Phase-II Project' के अन्तर्गत 50 हज़ार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त

लाभार्थी कृषकों के उत्पादन में processing के माध्यम से value addition का प्रावधान किया जाएगा तथा इन उत्पादों को बेचने के लिए आवश्यक marketing infrastructure का विकास किया जाएगा।

27. अध्यक्ष महोदय, मैं 2024–25 में निम्नलिखित मंडियों के निर्माण तथा उन्नयन की घोषणा करता हूँः–

- ✓ शिमला जिले में मेहंदली तथा शिलारू तथा कुल्लू जिला में बंदरोल में नई मंडियों का निर्माण किया जाएगा।
- ✓ सिरमौर में पाँवटा साहिब, खैरी, घंडूरी और नौहराधार; कुल्लू में चौरीबिहाल, पतलीकुहल और खेगसू; मण्डी में टकोली और कांगनी; काँगड़ा में जसूर, पासू तथा पालमपुर; तथा सोलन में परवाणू, कुनिहार और वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन किया जाएगा।

28. मंडियों में होने वाली गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए इनकी सभी प्रक्रियाओं की digitization के साथ–साथ कृषि उपज मंडी समितियों के यार्डों तथा 'राज्य कृषि विपणन बोर्ड' की कार्यप्रणाली को digitize किया जाएगा।

29. किसानों की सुविधा के लिए Chat Bot और AI पर आधारित भू–अभिलेख, हेल्पडैस्क तथा किसानों के database सहित एक web आधारित कृषि पोर्टल और Mobile App बनाया जाएगा। इसमें 'सूचना एवम् प्रौद्योगिकी विभाग' तथा 'Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation (HPSIDC)' से तकनीकी सहयोग लिया जाएगा।

30. सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश के किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाएंगे। इसके लिए एक **'Centre of Excellence for Vegetable Nursery Production'** खोला जाएगा जोकि 8 से 10 लाख पौधे एक साल में उपलब्ध करवा सकेगा।

31. High Yield बीजों की multiplication के लिए पूरे प्रदेश के सरकारी farms को चरणबद्ध ढंग से पुनर्गठित किया जाएगा। 2024 में काँगड़ा में भट्टू फार्म, सोलन में बेरटी फार्म तथा सिरमौर भंगाणी फार्म को अपग्रेड किया जाएगा तथा इनके माध्यम से उच्च कृषि तकनीक, नर्सरी उत्पादन इत्यादि को showcase किया जाएगा।

32. मेरी सरकार पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगी। किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मैं, 1 अप्रैल, 2024 से गाय तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्रमशः वर्तमान 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर; और, 47 रुपये प्रति लीटर से 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ौतरी करने की घोषणा करता हूँ। यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार है कि दूध खरीद पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया गया है। पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। यह बढ़ी हुई राशि दूध की गुणवत्ता के अनुसार दूध उत्पादकों को दी जाएगी। यदि किसान को खुले बाज़ार में दूध की अधिक कीमत मिलती है तो वह इसे खुले बाज़ार में बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा। बढ़े हुए पशुधन से अधिक गोबर उपलब्ध होगा जो प्राकृतिक खेती के काम आएगा। प्राकृतिक तकनीक से उगाई गई गेहूँ को सरकार द्वारा certify किया जाएगा तथा उत्पाद को सरकार द्वारा ही खरीद लिया जाएगा। हम चरणबद्ध

तरीके से किसान परिवार को दूध से एक निश्चित आय अर्जित करने में सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं ताकि हम चुनाव से पूर्व किये गए वायदों को पूरा कर सकें। 2024–25 में, इस पर लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जाएगी जिससे इस व्यवस्था को तैयार करने में सहायता मिलेगी।

33. Himachal Pradesh Milk Federation (MILKFED), कामधेनु हितकारी मंच इत्यादि दूध उत्पादन सोसाइटियों से Agricultural Produce Market Committee (APMC) द्वारा ली गई market fees reimburse करने में बहुत समय लग जाता है। इससे इन सोसाइटियों का बहुत सारा पैसा कमेटी के पास काफी समय तक पड़ा रहता है। मैं घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से APMC द्वारा ली जाने वाली फीस माफ की जाएगी। इससे इन सोसाइटियों को करोड़ों रुपये का लाभ पहुँचेगा।

34. मेरा लक्ष्य है कि किसानों और पशु–पालकों को न केवल दूध उत्पाद को Cost Based Price मिले बल्कि Quality Bonus भी मिले। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार निश्चित समयावधि को ध्यान में रख कर कार्य कर रही है। यह सरकार एवम् पशु–पालकों के संयुक्त प्रयास से सम्भव हो पाएगा। प्रदेश के युवाओं में पशुपालन से सम्बन्धित कौशल के विकास के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के माध्यम से नये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे।

35. 'हिम–गंगा' योजना के अन्तर्गत मैं वर्ष 2024–25 के दौरान काँगड़ा के ढगवार में 1.5 LLPD (Lakh Litre Per Day) की क्षमता वाले **'Fully Automated**

Milk and Milk Products Plant' की स्थापना की घोषणा करता हूँ। इस प्लांट के लिए भूमि उपलब्ध करवा दी गई है तथा इसकी क्षमता को बाद में बढ़ाकर 3 LLPD कर दिया जाएगा। इस प्लांट में अत्याधुनिक तकनीक से दूध का पाऊडर बनाया जाएगा जिससे कि मांग से अधिक दूध को लम्बे समय तक preserve करके रखा जा सके। इसके अतिरिक्त दही, खोया, घी, आईसक्रीम, flavoured milk, processed cheese और अन्य उत्पाद तैयार किये जाएंगे। इसके साथ ही, यहाँ UHT (Ultra Heat Technology) से पैकिंग की सुविधा भी उपलव्ध होगी।

36. दत्तनगर 'Milk Processing Plant' में 50 हज़ार LPD की क्षमता का एक अतिरिक्त सयंत्र चालू कर दिया जाएगा तथा वर्तमान में विभिन्न जिलों में काम कर रहे दूध सयंत्रों के नवीनीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।

37. ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से 'Milk Processing Plants' स्थापित किये जाएंगे जिन पर लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

38. स्थानीय युवाओं को किसानों/collection centres से milk processing plants तक दूध ले जाने के लिए 50 प्रतिशत् उपदान पर 200 refrigerated milk vans उपलब्ध करवाई जाएंगी।

39. पशुपालकों को उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं सोलन जिले के दाड़लाघाट में **'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र'** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ जिसकी सहायता से कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

40. विशेषज्ञ पशुचिकित्सकों द्वारा गम्भीर पशु रोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 44

mobile veterinary vans क्रय कर ली गई हैं। यह सेवा वर्ष 2024 में पूर्ण रूप से आरम्भ कर दी जाएगी। प्रत्येक वैन में एक Veterinary Doctor तथा एक pharmacist तैनात होगा। पशु–पालक प्रदेश में कहीं से भी टॉल फ्री फोन नम्बर 1962 पर कॉल करके पशुओं के उपचार की सुविधा या पशुपालन से सम्बन्धित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

41. 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के तहत ऊना जिले के बसाल में डेनमार्क के तकनीकी सहयोग से 44 करोड़ रुपये की लागत से एक **'उत्कृष्टता केन्द्र'** स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक भूमि पशुपालन विभाग के नाम पर हस्तांतरित हो चुकी है।

42. बदलते समय में पशुपालन विभाग के संगठनात्मक ढाँचे के पुनर्गठन एवम् पुनर्संरचना की भी आवश्यकता है। अतः विभागीय योजनाओं के युक्तिकरण एवम् विभागीय ढाँचे के पुनर्गठन के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी जिसके लिए एक विषेशज्ञ समिति बनाई जाएगी। MILKFED के माध्यम से 'National Dairy Plan-II' के अन्तर्गत प्रदेश में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करके उसको implement किया जाएगा।

43. हिमाचल प्रदेश भेड़–बकरी पालकों का भी प्रदेश है। प्रदेश में 8 लाख भेड़ें तथा 11 लाख बकरियां हैं। भेड़ बकरियों के लिए FMD Vaccine, Deworming दवाई तथा अन्य दवाईयों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भेड़–बकरी पालकों की अन्य बड़ी समस्याओं में Dipping, Drenching की व्यवस्था में सुधार, ऊन कटाई की व्यवस्था में सुधार, उनके परम्परागत चरानों तथा रास्तों का समाप्त होना, भेड़–बकरी की ऊन के व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आए बदलाव के कारण ऊन के

खरीद मूल्य में भारी गिरावट आदि है। मैं प्रदेश में भेड़–बकरियों के लिए FMD Vaccination शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए एक नई योजना **"भेड़–बकरी पालक प्रोत्साहन योजना"** प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना पर 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।

44. प्रदेश में बढ़ते हुए बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए एक 'State Level Task Force' का गठन किया जाएगा जोकि 3 माह के भीतर इन पशुओं को किसानों तथा स्थानीय समुदायों से परामर्श के बाद समीप के गौ–अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं में रखने के लिए दिशा–निर्देश सुझाएंगे। इसी के साथ गौ–अभ्यारण्यों तथा गौशालाओं के निर्माण तथा रख–रखाव से सम्बन्धित सुझाव भी दिये जाएंगे।

45. मैं निजि गौ–सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 हज़ार 200 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

कृषि क्षेत्र के लिए कुल 582 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

बागवानी

46. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में प्रदेश के बागवानों का एक बड़ा योगदान रहा है। बागवानों की आय में वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मैं 2024–25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये की लागत से निम्न विकास कार्य पूरे करने की घोषणा करता हूँः–

- 75 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण।
- लगभग 1 हज़ार 200 हेक्टेयर क्षेत्र में sub-tropical फलों के high density वृक्षों का रोपण कार्य किया जाएगा जिससे 80 कृषक समूहों के लगभग 6 हज़ार 500 किसान परिवार लाभान्वित होंगे।

- 12 करोड़ रुपये की लागत से एक **'बागवानी उत्कृष्टता केन्द्र'** की स्थापना की जाएगी जोकि गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाज़ार सम्बन्धित सभी आवश्यकताओं के लिए 'One Stop Resource Centre' के रूप में कार्य करेगा।

- राज्य के Sub-tropical क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक **'Fruit Processing Unit'** स्थापित किये जाएंगे।

- 5 करोड़ रुपये की लागत से अमरूद, नीम्बू तथा अन्य sub-tropical फलों को बढ़ावा देने के लिए mother trees/ bud wood banks के लिए **'Foundation Block'** की स्थापना की जाएगी।

47. बागवान भाईयों के साथ चर्चा के बाद मैं घोषणा करता हूँ कि 2024 के सेब सीज़न से universal carton का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार करने हेतु सचिव, कृषि की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2023 में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है।

48. प्रदेश में high return fruits जैसे कि ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लू बैरी, मैकाडामिया नट इत्यादि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डॉ वाई एस परमार बागवानी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार किये जाएंगे। इससे प्रदेश के किसानों की आय में शीघ्र एवम् निश्चित वृद्धि होगी।

49. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पर्यटकों के बढ़ते हुए रूझान को देखते हुए Horticulture Tourism को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। प्रदेश में स्थित बड़े बाग़ों तथा बाग़ों के समूहों को ग्रामीण पर्यटन की

दृष्टि से विकसित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, उद्यान विभाग तथा पर्यटन विभाग के माध्यम से एक ठोस नीति का निर्धारण किया जाएगा। इस नीति के अन्तर्गत इच्छुक बागवानों को आवश्यक ट्रेनिंग तथा अन्य सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

बागवानी के लिए कुल 531 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

मत्स्य पालन

50. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग 13 हज़ार मछुआरों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- ✓ 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80 प्रतिशत् उपदान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- ✓ जिला हमीरपुर में 'Centre of Excellence' के रूप में एक नए 'Carp Fish Farm' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ नालागढ़ स्थित 'Fish Seed Farm' में 5 करोड़ रुपये की लागत से 'Brood Bank' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ प्रदेश के मछुआरों को मोटरसाईकिल, थ्री–व्हीलर तथा ice-boxes उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- ✓ 10 नए 'Biofloc Fish Production' तालाबों तथा 10 नई लघु 'Biofloc Fish Production' इकाईयों की स्थापना की जाएगी।
- ✓ तीन नई 'Feed Mills' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ दो बर्फ सयंत्रों की स्थापना की जाएगी।

51. इसके अतिरिक्त प्रदेश के ठंडे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र में ट्राऊट मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 150 नई ट्राऊट मछली उत्पादन इकाईयों तथा दो नई trout hatcheries की स्थापना की जाएगी।

ऊर्जा/बहुउद्देशीय परियोजनाएं

52. अध्यक्ष महोदय, गत् वर्ष भारी वर्षा के कारण अन्य सम्पत्तियों के साथ–साथ Larji Power House को लगभग 658 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। Larji Power House के Unit No. 1 को पूरी तरह से restore कर दिया गया है तथा अन्य दो यूनिटों को भी शीघ्र ही restore कर दिया जाएगा।

53. लगभग 2 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित होने वाले 'Himachal Pradesh Power Sector Development Programme' के लिए विश्व बैंक के साथ loan agreement sign कर लिया गया है। इसके माध्यम से Smart Grid Technology की सहायता से प्रदेश के 13 शहरों में 24X7 Power Supply सुनिश्चित करने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा।

54. मैं, हिमाचल प्रदेश को 2026 तक देश का पहला 'हरित ऊर्जा' राज्य बनाने के अनुक्रम में तथा प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः–

- ❖ पेखुबेला स्थित 32 मैगावॉट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजैक्ट का शिलान्यास 2 दिसम्बर, 2023 में किया गया था। मैं, इसे मार्च, 2024 तक के अंत तक commission करने की घोषणा करता हूँ।

- ❖ ऊना में अघलोर स्थित 10 मैगावॉट क्षमता वाला 'सोलर पावर प्लांट' जून, 2024 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा।

- ऊना के भंजाल में 5 मैगावॉट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजैक्ट का सितम्बर, 2024 तक लोकार्पण कर दिया जाएगा।

- 'राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना' के अन्तर्गत निजि भूमि पर 45 प्रतिशत् उपदान पर 100 से 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति लाई जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत, प्रथम चरण में, कुल 100 मैगावॉट सोलर क्षमता का दोहन सुनिश्चित किया जाएगा।

- निजी भूमि पर स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं का पंजीकरण पूरे वर्ष के लिए खुला रखा जाएगा जिससे 100 मेगावॉट सौर क्षमता का दोहन शीघ्र सम्पन्न हो पाएगा।

- प्रदेश के बाल एवम् बालिका आश्रमों तथा वृद्ध आश्रमों और 'Rajiv Gandhi Model Day Boarding Schools' में ग्रिड से जुड़े 'Roof Top Solar Plant' और Water Heating System स्थापित किये जाएंगे।

- सभी सरकारी भवनों के connected load के कम से कम 20 प्रतिशत् की आपूर्ति ग्रिड से जुड़े 'Roof Top Solar Plant' के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से करना अनिवार्य किया जाएगा।

- सोलन, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगमों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को NOC प्राप्त करने के लिए नए भवनों में 'Solar Water Heating System' लगाना अनिवार्य किया जाएगा तथा इन निगमों में स्थित सरकारी भवनों की छत पर चरणबद्ध तरीके से 'Solar Plant' लगाने होंगे।

- ऊना, काँगड़ा, सोलन, सिरमौर, मण्डी और शिमला ज़िलों में 501 मेगावॉट की क्षमता वाले 5 सौर पार्क और 212 मेगावॉट की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

55. लगभग 1 हज़ार 885 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेशभर में Re-vamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के माध्यम से Aggregate Technical and Commercial (AT&C) Losses को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के साथ–साथ Distribution Sector की Financial Sustainability भी बढ़ेगी।

56. बिजली उत्पादन के साथ–साथ एक Efficient Transmission and Distribution Network होना समय की आवश्यकता है ताकि न केवल प्रदेश की जनता की बिजली की मांग को पूरा किया जा सके बल्कि surplus उत्पादन को उचित समय पर अन्य राज्यों को भी पहुँचाया जा सके। इसको और सुदृढ़ करने के लिए 2024–25 के लिए 96 करोड़ रुपये की लागत से चार transmission lines तथा 290 करोड़ रुपये की लागत से 6 Extra High Voltage (EHV) sub-station पूरे किये जाएंगे।

57. प्रदेश में स्थित transmission assets को National Grid से 'Central Transmission Utility System' के माध्यम से जोड़ा गया है। इसकी निरंतर monitoring के लिए कुनिहार में बन रहे 'Joint Control Centre (JCC)' तथा काँगड़ा के दैहन में sub-station के निर्माण का कार्य 2024–25 में पूरा कर लिया जाएगा। इससे transmission lines के शीघ्र रख–रखाव में भी सुविधा होगी।

58. अध्यक्ष महोदय, काँगड़ा जिला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा पिछले बजट में की गई थी। इसी क्रम में, 7 जुलाई, 2023 को काँगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए Section 11 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लिए Rehablitation and Resettlement (R&R) Plan को

पर्यटन

शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा और भू–अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त WAPCOS Ltd. द्वारा तैयार की गई मण्डी हवाई अड्डे की DPR का परीक्षण किया जा रहा है।

59. प्रदेश में कुल 16 प्रस्तावित Heliports में से प्रथम चरण में 9 Heliports क्रमशः हमीरपुर में जसकोट; काँगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर; चम्बा में सुल्तानपुर; कुल्लू में आलू ग्राऊंड, मनाली; किन्नौर में शारबो; तथा लाहौल–स्पिति में जिस्पा, सिस्सू और रांगरिक में विकसित किये जाएंगे। इन 9 Heliports की feasibility study reports प्राप्त हो चुकी हैं; रक्कड़, सुल्तानपुर और पालमपुर का Obstacle Limitation Survey (OLS) हो चुका है और इनकी DPRs शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएंगी। रक्कड़ और पालमपुर का architectural design प्राप्त हो चुका है। 13 करोड़ रुपये प्रति हेलीपोर्ट की लागत से रक्कड़, पालमपुर, रिकाँग–पिओ, चम्बा में Heliports का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। दूसरे चरण में, चम्बा के पांगी और होली, बिलासपुर के औहर, सिरमौर के धारकियारी, शिमला के चाँशल धार, ऊना के जनकौर हर तथा सोलन के गलानाग में हेलीपोर्ट निर्मित किये जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार के माध्यम से 'पवन हंस लिमिटिड' से आवश्यक सहायता ली जाएगी।

60. पर्यटन विकास के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में बढ़ते हुए स्वदेश दर्शन–2 के अन्तर्गत पौंग डैम के विकास और प्रबन्धन के लिए एक master plan तैयार किया गया है। इसके साथ ही निम्न 5 Tourist Destinations को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगाः–

- लाहौल–स्पिति में चंद्रताल, काज़ा और तांदी।
- किन्नौर में रकछम और नाको–चांगो–खाब।

61. मैं, कुफरी के नजदीक हासन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर एक sky walk bridge के निर्माण करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

62. पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी Home Stay Units को 'Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act' के अधीन लाया जाएगा जिससे इनके संचालन में सुधार और गुणवत्ता लाई जा सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा

63. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कैंसर के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या चिन्ता का विषय है। प्रदेश में कैंसर की रोकथाम तथा उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी। मैं, 'Dr. Radhakrishnan Medical College, Hamirpur' में १०० करोड़ रुपये की लागत से State of the Art facilities के साथ **"State Cancer Institute"** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। Indian Council of Medical Research (ICMR) की सहायता से प्रदेश में बढ़ते कैंसर के रोगियों के कारणों का पता भी लगाया जाएगा।

64. कैंसर पीड़ित मरीजों को प्रदेश में ही chemotherapy तथा Palliative Care की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित 'आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों' पर **"Cancer Day Care Centres"** की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों में chemotherapy ले रहे सभी मरीजों के लिए beds का प्रावधान होगा तथा chemotherapy दवाओं को राज्य आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित किया जाएगा ताकि मरीजों को chemotherapy के लिए अधिक पैसा व्यय न करना पड़े।

65. Indira Gandhi Medical College, Shimla में कैंसर पीड़ित रोगियों के Advanced Radio Therapy तकनीक से

उपचार के लिए 21 करोड़ रुपये की लागत से एक LINAC (Linear Accelerator) Machine स्थापित की जाएगी।

66. पिछले बजट में घोषित 69 आदर्श स्वास्थ्य केंन्द्रों पर कार्य विभिन्न चरणों में है तथा इनमें से अधिकांश का कार्य 2024–25 में पूरा कर दिया जाएगा तथा इसी वर्ष Machinery and Equipment की व्यवस्था करने के लिए 1 करोड़ रुपये प्रति केन्द्र उपलब्ध करवाए जाएंगे।

67. पिछले कई वर्षों से 'PGI Satellite Centre, Una' में चल रहे सभी कार्यों को गति देने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा किये गए प्रयासों से पिछले कई वर्षों से लम्बित environmental clearance दिलवायी गई। इसमें शुरू किये सभी कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा।

68. प्रथम चरण में, प्रदेश के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में 'Hospital Management Information Service (HMIS)' की स्थापना की जाएगी। इससे मरीज़ों को उनके digital record के आधार पर बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो पाएंगी। इस क्रम में, लगभग 57 लाख प्रदेशवासियों का **'Aayushman Bharat Health Account (ABHA) IDs'** बनाया जा चुका है तथा शीघ्र ही सभी पात्र प्रदेशवासियों का ABHA ID बना दिया जाएगा।

69. प्रदेश में Scrub Typhus के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत् मैं 1 करोड़ रुपये की लागत से **"State Level Scrub Typhus Research Unit"** स्थापित करने की घोषणा करता हूँ।

70. Dr. Rajender Prasad Government Medical College, Tanda और Kamla Nehru Hospital, Shimla में

नवजात शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए शिशुओं तथा जच्चाओं के लिए 'Lactation Management Centres' स्थापित किये जाएंगे। प्रदेश के जिन स्वास्थ्य संस्थानों में X-Ray की सुविधा नहीं है वहाँ के निवासियों की सुविधा के लिए private practitioners के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

71. 2026 के अंत तक प्रत्येक जिले में सभी टैस्ट सुविधाओं सहित एक 'Integrated Public Health Lab' की स्थापना की जाएगी।

72. पिछले बजट में घोषित नाहन, चम्बा और हमीरपुर में नए नर्सिंग कॉलेजों में निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। इसके साथ ही Dr. Rajendra Prasad Medical College, Tanda में General Nursing and Midwifery (GNM) स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्नत किया जाएगा।

73. बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणु, पाँवटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी कामगारों की health screening के लिए एक 'Guest Worker Screening Project' आरम्भ किया जाएगा।

74. पिछली सभी सरकारों ने प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं आरम्भ की हैं। ऐसी ही योजनाओं में से 'हिमकेयर' तथा 'सहारा' 2019 में शुरू की गईं और इनका लाभ भी जन साधारण तक पहुँचा है। किन्तु इनसे सम्बन्धित emperical data के analysis के बाद इनके कार्यान्वयन में कुछ structural तथा operational समस्याएं उजागर हुई हैं। इनमें से प्रमुख समस्या है कि convergence और technology की application के अभाव में कुछ योजनाओं में duplication हो रही है। मैं राष्ट्रीय स्तर

के domain experts की सहायता से इन कमियों को दूर करके कुछ आवश्यक सुधार करने की घोषणा करता हूँ ताकि जरूरतमंद लोगों को उचित समय पर इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तब तक इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन यथावत् होता रहेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 3 हज़ार 415 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

गुणात्मक शिक्षा

75. अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उनका पालन–पोषण करेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। यह कथन आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं उनकी गति और उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। तेजी से बदलती इस नई दुनिया में एक अनिश्चित भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करने में शिक्षा व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

76. यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था समावेशी, समानता पूर्ण, future-oriented, नई तकनीक के प्रति सजग और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो। हमें प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा। भारत के संविधान में हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उद्देश्य तय किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य इस पावन भावना के अनुरूप विभिन्नता में एकता एवम् बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना है।

77. मेरी सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक स्वस्थ

जीवन दृष्टि विकसित करें तथा मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) के प्रयोग तक हर कौशल में सर्वश्रेष्ठ बनें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार प्रारम्भ किये हैं।

78. प्राथमिक, प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का सांझा प्रयोग आज की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रदेश में क्लस्टर प्रणाली प्रारम्भ की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं तथा इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इन संस्थानों में उचित गुणवत्ता और size के class-rooms, smart class-rooms with smart boards, audio-visual teaching aids, learning software, proper seating arrangements; full strength of teachers, playground, clean toilets के साथ–साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

79. आज के ग्लोबल विश्व में यह अनिवार्य शर्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी विश्व की नवीनतम तकनीक से घर बैठे जुड़ सकें तथा आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी अपनी क्षमता के आधार पर रोज़गार एवम् स्वरोज़गार प्राप्त कर सकें। इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया है। विभिन्न शोध यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भाषाएं सीखने का सबसे अच्छा समय 12 वर्ष की आयु तक होता है। अतः पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प समय की मांग है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी बच्चों को और विशेष रूप से गाँव के बच्चों को लाभ होगा।

80. 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें तीन साल का pre-school 'बाल वाटिका' पाठ्यक्रम भी शामिल होगा। प्रदेश में अभी 6

हज़ार से अधिक प्राथमिक पाठशालाओं में प्री–स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 6 हज़ार Nursery Teachers नियुक्त किये जाएंगे। पात्र आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी अध्यापक बनने का अवसर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें Bridge Course भी करवाया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुसार कम से कम 6 वर्ष की आयु तय की गई है और प्री–प्राईमरी की तीन कक्षाओं में प्रवेश के लिए क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है।

81. पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 'Institution of Excellence (IOE)' के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्ष 2024–25 में, 850 शिक्षण संस्थानों को 'IOE' बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 500 प्राईमरी स्कूल 100 हाई स्कूल, 200 सीनियर सेकेन्डरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ–साथ smart classrooms तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। निर्धारित मापदण्डों के आधार पर इन संस्थानों का periodic मूल्यांकन करवाया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकें इसके लिए स्कूल/कॉलेज Leadership प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

82. स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल–मेल के लिए तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए **''अपना विद्यालय–मेरा विद्यालय–मेरा सम्मान''** योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इसमें, जहाँ एक ओर मुख्य मन्त्री से लेकर खण्ड स्तरीय अधिकारियों तक सभी एक–एक शिक्षण संस्थान को

गोद लेंगे, वहीं दूसरी ओर समुदाय को स्कूलों से जोड़ा जाएगा। इसमें पात्र एवम् इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

83. प्रत्येक उप–मण्डल में उप–मण्डलाधिकारियों को सभी primary schools का महीने में एक दिन बारी–बारी से अनिवार्य रूप से review meeting का आयोजन करना होगा। इस बैठक में उस स्कूल में न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों की performance का भी review किया जाएगा। अभिभावकों के साथ भी इसी बैठक में संवाद किया जाएगा। इसी बैठक में स्कूल के रख–रखाव के बारे में भी उचित निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिये जाएंगे।

84. प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों की वार्षिक Ranking और उनके लिए Performance Based Grant की व्यवस्था की शुरूआत की जाएगी। इस सारी व्यवस्था को Online Portal के माध्यम से विकसित किया जाएगा तथा इसे आम जनता तथा अभिभावकों से भी सांझा किया जाएगा जिसके लिए एक website बनाई जाएगी।

85. शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। अभी तक लिए गए निर्णयों में, वर्ष में कुल अध्यापन दिवस बढ़ाना, खेल एवम् सांस्कृतिक गतिविधियों का निश्चित समय तय करना, शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्यों में निरन्तर कमी करना, Mid Day Meal में रिकॉर्ड की औपचारिकताओं को कम करना शामिल हैं। अध्यापकों को विद्यालयों में भवन निर्माण कार्यों से अलग रखने के निर्देश जारी कर दिये गए हैं। एक ही सूचना को बार–बार मंगवाए जाने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। यह भी देखा गया है कि

आमतौर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगभग नियमित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था इस व्यवस्था पर भी पूर्णतः रोक लगाई गई है। अध्यापकों और बच्चों में अपने विद्यालय के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो, इसके लिए विद्यालयों को अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की वर्दी चुनने का अधिकार भी दिया गया है। आगामी वर्ष में शिक्षा में बेहतरी के लिए प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं, संरचना और नियमावली का पूर्ण परीक्षण करके आवश्यक बदलाव लाया जाएगा।

86. पढ़ने–पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में वर्ष 2024–25 में **''पढ़ो हिमाचल''** के नाम से एक व्यापक जन अभियान प्रारम्भ किया जाएगा। इस अभियान में विद्यालयों के साथ–साथ ग्रामीण एवम् शहरी जन समुदाय को भी जोड़ा जाएगा। इसी अभियान के तहत प्रदेश के 500 शिक्षण संस्थानों में सामान्य पाठकों और विशेष रूप से युवाओं के लिए Reading Room बनाए जाएंगे तथा इन्हीं शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के चलाने में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा।

87. मैं, प्रत्येक जिला व उपमण्डल मुख्यालयों तथा पंचायत स्तर पर एक आधुनिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय तथा वाचनालय बनाने की घोषणा करता हूँ। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में, पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण करके इनमें पुस्तकें तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिस पर 88 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

88. शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों का मुख्य योगदान है। अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक result oriented बनाने के लिए District Institute of Education Training (DIETs) तथा

State Council of Educational Research (SCERT) के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसी तरह प्रदेश में State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT) का पुनर्गठन करके इसे क्रियाशील किया जाएगा।

89. जिन स्थानों पर छात्रों और छात्राओं के लिए अलग–अलग स्कूल अथवा महाविद्यालय चल रहे हों, स्थानीय निवासियों की मांग पर आवश्यकतानुसार उन दोनों को मिलाकर एक co-education शैक्षणिक संस्थान चलाने की शुरूआत की जाएगी। इससे छात्र व छात्राओं के शैक्षणिक विकास के साथ–साथ उनका मनोवैज्ञानिक विकास होगा तथा व्यक्तित्व उभरेगा। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक शिक्षा विद्यालय न हो, वहाँ के बच्चों को नजदीक के स्कूल तक लाने और वापिस घर छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।

90. अध्यक्ष महोदय, एक अनुमान के अनुसार जल जनित रोगों से प्रतिवर्ष भारत को 49 अरब 78 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है। भारत के दो तिहाई जिले पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए साफ पानी मिले इसके लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा तथा सरकारी स्कूलों के 8 लाख 50 हज़ार से अधिक बच्चों के लिए मैं एक सुरक्षित एवम् स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ।

91. प्रदेश में पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रम का संवैधानिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का समावेश भी किया जाएगा। इसके लिए पाँचवी कक्षा से हिमाचल के इतिहास एवम् संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, basic hygiene तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। सभी विद्यालयों में खेलों तथा व्यायाम के

लिए प्रतिदिन कम से कम एक period अनिवार्य किया जाएगा। आवश्यकतानुसार Physical Education Teachers की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

92. 500 बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वयं सहायता समूहों को Mid Day Meal के अन्तर्गत भोजन बनाने और परोसने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

93. National Assessment and Accreditation Council (NAAC) उच्च शिक्षा में प्रदेश की स्थिति को जाँचने एवम् इसमें किये जा रहे प्रयासों को आँकने का एक अच्छा माध्यम है। 2024–25 में NAAC Accreditation के लिए प्रदेश के सभी पात्र कॉलेजों द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी।

94. 2024–25 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को वित्त पोषण के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1 हज़ार 52 करोड़ रुपये तथा STARS Project के तहत 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त PM USHA के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तथा PM SHRI के तहत 477 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी।

95. पिछली सरकार ने प्रदेश में तीन स्थानों पर 'अटल आदर्श विद्यालय' बनाने प्रारम्भ किये हैं। मेरी सरकार इन्हें पूरा करने के लिए न केवल आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी बल्कि इन्हें क्रियाशील भी करेगी। 'राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों' तथा 'अटल आदर्श विद्यालयों' के लिए कर्मचारियों का एक विशेष संवर्ग बनाया जाएगा तथा इन्हें अर्न्तराष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं, प्रथम चरण में, प्रदेश में पाँच राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूलों क्रमशः लाहडू

और नगरोटा बगवां (काँगड़ा), अमलेहड़ और भोरंज (हमीरपुर), तथा संगनाई (ऊना) का निर्माण कार्य आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ।

शिक्षा क्षेत्र में कुल 9 हज़ार 560 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास

96. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोज़गार एवम् स्वरोज़गार अवसरों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से market demand के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। मैं इसी अनुक्रम में निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नगरोटा बगवां में Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science) में B.Tech और डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जाएंगे।

- राजकीय बहुतकनीकी, सुन्दरनगर में Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा।

- राजकीय बहुतकनीकी, हमीरपुर तथा तलवाड़ में Computer Engineering and IOT में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा।

- अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रगतिनगर में Civil Engineering के B.Tech और डिप्लोमा कोर्स आरम्भ किये जाएंगे।

- राजकीय बहुतकनीकी, जण्डौर में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से कक्षाएं आरम्भ कर दी जाएंगी।

97. श्रम विभाग की EEMIS पोर्टल पर अभी तक 448 employers को जोड़ा जा चुका है। इसमें निजी क्षेत्र के और employers को जोड़ा जाएगा तथा इसके माध्यम से 2024–25 में 180 campus interviews आयोजित किये जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंत तक इस क्षेत्र के 20 लाख 87 हज़ार कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त श्रम एवम् रोज़गार विभाग की रोज़गार पंजीकरण पोर्टल को Common Service Centres (CSCs) के साथ भी link किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा इन केन्द्रों के माध्यम से पंजीकरण करवा सकें।

तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुल 330 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन

98. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा transgender पेंशन के 7 लाख 84 हज़ार लाभार्थियों के लिए लगभग 1 हज़ार 260 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। 2024–25 में 40 हज़ार नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

महिला एवम् बाल विकास एवम् कमज़ोर वर्गों का कल्याण

99. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अभी तक दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है। मैं प्रदेश में दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कण्डाघाट में एक **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"** की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। **'Institute for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)'** को भी इस केन्द्र में स्थानान्तरित किया जाएगा। इस केन्द्र में 0–27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की

सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए किराये के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

100. प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कण्डाघाट में एक **''आदर्श नशा निवारण केन्द्र''** की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्र में पुस्तकालय, जिम, indoor तथा outdoor खेलों इत्यादि की सुविधा देने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह केन्द्र सड़क से जुड़ा हो तथा कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सिविल अस्पताल इस केन्द्र के आसपास हो जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ–साथ सम्बन्धित परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश के युवाओं तथा अन्य हितधारकों की जागरूकता के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उपमण्डल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक 'effective monitoring and reporting system' की स्थापना की जाएगी।

101. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है तथा इनके माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों को समय पर उचित सुविधाएं पहुँचाने के लिए हमारी सरकार सदा से ही प्रयत्नशील रही है। मैं एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख आरोग्य योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे कृषकों एवम् वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों अथवा कोई पेंशन न ले रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।

102. इसके साथ ही मैं एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख–शिक्षा योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों, जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम हो, की शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को medical college,

engineering college, NIT, IIM, IIT, Nursing, graduation/postgraduation पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता–पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। इसके साथ ही सभी पात्र महिलाओं के स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस पर लगभग 41 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

103. सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि 'जिला विकास समिति' की बैठक समय पर न हो पाने की स्थिति में सम्बन्धित जिला के उपायुक्त को इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न लाभार्थियों को दिये जाने वाले लाभों को स्वीकृत करने की शक्तियाँ दी जाएंगी। ऐसी परिस्थिति में दी गई स्वीकृतियों पर जिला कल्याण समिति की होने वाली आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

104. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित लाभार्थियों के लिए चलाए जा रहे Post-Graduate Diploma in Computer Application तथा Diploma in Computer Application Courses में बाज़ार मांग के अनुरूप GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto-CAD इत्यादि नए Courses को सम्मिलित किया जाएगा ताकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को उचित रोज़गार प्राप्त हो सके।

सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल, एवम् अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2 हज़ार 457 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

105. अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक वर्षा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार द्वारा आपदा पीड़ित परिवारों के लिए तुरंत प्रभाव से राशन, LPG गैस connections तथा सिलेंडर बिना किसी दाम के उपलब्ध करवाए गए। हमारी सरकार द्वारा की गई यह छोटी सी सहायता पीड़ित परिवारों के लिए संकट के समय में एक बड़ा सहारा बनी।

106. राशन डिपो के माध्यम से Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) के मानदंडों के अनुसार विटामिन 'A' और 'D' से fortified सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। शादी–विवाह, त्यौहार व अन्य समारोहों में उपभोक्ताओं को यह तेल खुले बाजार से ऊँचे दामों पर खरीदना पड़ता है। मैं घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन डिपो से यह तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।

107. Public Distribution System को और सुदृढ़ बनाने के लिए Integrated Management of Public Distribution System (IMPDS) को upgrade किया जाएगा तथा 'One Nation - One Ration Card (ONORC)' के अन्तर्गत National Portability को और सुदृढ़ किया जाएगा। इससे 'National Food Security Act (NFSA)' के प्रावधानों के अनुसार राशन वितरण को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। इसी के अन्तर्गत Web आधारित KYC का प्रावधान किया जाएगा जिससे Inter State Portability के तहत लाभार्थियों को इस योजना के लाभ किसी भी राज्य में मिल सकेंगे। मिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य उपदान के लिए कुल 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये जाएंगे।

पंचायती राज व ग्रामीण विकास

108. अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष घोषित प्रत्येक ब्लॉक में निर्मित किये जा रहे 'Plastic Waste Management Units (PWMU)' को 2024–25 में operationalize कर दिया जाएगा। इनके operations में backward और forward linkages सुनिश्चित की जाएगी ताकि इनका लाभ अन्य क्षेत्रों तथा समुदायों को भी मिल सके।

109. सभी जिलों में एक मॉडल पंचायत के लक्ष्य को पूरा करने के बाद इस मॉडल को convergence के माध्यम से अन्य पंचायतों में चरणबद्ध ढंग से replicate किया जाएगा।

110. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से 2024–25 में 5 हज़ार अतिरिक्त गाँवों को ODF+ (Open Defecation Free Plus) declare करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर कम से कम 4 sites पर Faecal Sludge Management Plants स्थापित किये जाएंगे।

111. 2024–25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 हज़ार स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन समूहों को लगभग 32 करोड़ रुपये की धनराशि Revolving Fund तथा Community Investment Fund के रूप में देने के साथ–साथ इन्हें लगभग 50 करोड़ रुपये का ऋण देने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूहों पर लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

112. सभी पंचायतों के accounts e-Gram Swaraj Software Application से जोड़ दिये गए हैं। इसके माध्यम से सभी पंचायतों के संसाधनों तथा व्यय की monitoring के लिए इस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा।

113. 2024–25 में पंचायती राज संस्थानों के लिए 352 करोड़ रुपये 15वें वित्तायोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप तथा 448 करोड़ रुपये छठे राज्य वित्तायोग की सिफ़ारिशों के आधार पर व्यय किये जाएंगे।

114. पूर्व की UPA सरकार द्वारा आरम्भ किया गया 'महात्मा गांधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (मनरेगा)' ग्रामीण बेरोज़गारों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। मनरेगा कामगार इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त करने के साथ–साथ public assets बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। इस प्रकार प्रदेश सरकार मनरेगा कामगारों को 76 रुपये प्रतिदिन अपने संसाधनों से देगी। हिमाचल प्रदेश में यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है जोकि आज से पहले नहीं की गई। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को **''आत्मनिर्भरता''** की ओर ले जाने में गति मिलेगी। इसी के साथ, ऐसी **''विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार''** जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो तथा वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हों, को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी बशर्ते कि यह सहायता किसी और कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त न हुई हो।

115. मैं, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की सहर्ष निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- अध्यक्ष, जिला परिषद को 4,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, जिला परिषद को 1,300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- अध्यक्ष, पंचायत समिति को 1,900 रुपये बढ़ौतरी के साथ 11,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, पंचायत समिति को 1,200 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- प्रधान, ग्राम पंचायत को 1,200 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- उप–प्रधान, ग्राम पंचायत को 800 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सदस्य, ग्राम पंचायत को 250 रुपये बढ़ौतरी के साथ 750 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा।

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज के लिए कुल 2 हज़ार 356 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

शहरी विकास

116. अध्यक्ष महोदय, 2024–25 से घर बनाने के लिए नक्शों की स्वीकृति AUTODCR के माध्यम से एक सिंगल पोर्टल पर प्रदान की जाएगी। यदि घर का नक्शा इस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद कोई भी कमी पाई जाती है तो आवेदक उसे ऑनलाइन देखकर ही आवश्यक दस्तावेज़ जमा करवा पाएंगे। इसी पोर्टल

के माध्यम से private professionals 500 वर्गमीटर तक के आवासीय नक्शों की अनुमति भी दे पाएंगे।

117. मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँः–

- महापौर, नगर निगम को 4,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 24,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उप–महापौर, नगर निगम को 3,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- काउंसलर, नगर निगम को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- अध्यक्ष, नगर परिषद को 1,700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- पार्षद, नगर परिषद को 700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- प्रधान, नगर पंचायत को 1,400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- उप–प्रधान, नगर पंचायत को 1,100 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,600 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
- सदस्य, नगर पंचायत को 700 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,200 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

118. शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबन्धन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण cell की स्थापना की जाएगी।

119. शहरी निकायों के कार्य में सुधार तथा आम जनता की सुविधा के लिए शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को digitalize किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर एक 'State Project Monitoring Unit' की स्थापना की जाएगी जोकि experts के माध्यम से शहरी निकायों की कार्यप्रणाली की Online Planning, Implementation, Monitoring तथा Reporting में सहायक सिद्ध होगी। इसी पहल के अन्तर्गत शहरी निकायों में विभिन्न शुल्क एवम् टैक्स ऑनलाइन इकट्ठे किये जा सकेंगे तथा विभिन्न certificate एवम् NOC ऑनलाइन जारी किये जा सकेंगे। इसी के अन्तर्गत शहरी निकायों के accounts को digitize किया जाएगा। AGiSAC की सहायता से सभी शहरी निकायों में परिसम्पत्तियों की GIS mapping की जाएगी।

आवासीय सुविधा

120. अध्यक्ष महोदय, मैं वाल्मीकि समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना **''महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसके अन्तर्गत वाल्मीकि समाज के ऐसे सफ़ाई कर्मचारियों जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो तथा उनके पास अपना घर न हो, को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

121. मैं 'मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना' के अन्तर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम हो, को गृह निर्माण के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रुपये की

राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूँ।

122. नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद् नालागढ़ और परवाणू में Economically Weaker Sections (EWS)/slumdwellers से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को मकान आवंटित किये जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग तथा विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

123. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल–जीवन मिशन तथा NDB और ADB के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है। 2024–25 में किन्नौर, चम्बा और लाहौल व स्पिति में 29 करोड़ रुपये की लागत से 4 Antifreeze पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। New Development Bank (NDB) के माध्यम से 24 तथा Asian Development Bank (ADB) के माध्यम से 186 पेयजल योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है तथा इन्हें तय समय–सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों के माध्यम से 20 हज़ार 663 परिवार Partially Covered (PC) Schemes से लाभान्वित होंगे तथा 79 हज़ार 282 परिवार Functional Household Tap Connection (FHTC) से लाभान्वित होंगे। **जल शक्ति**

124. शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजना आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से मैं, 2024–25 के लिए निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- 4 शहरों क्रमशः ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ– पपरोला तथा नेरचौक में 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) की क्षमता

वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा।

- इसी प्रकार अंब और भुंतर के लिए 33 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि 2024–25 के अंत तक इनका कार्य पूरा हो जाए।

- 112 करोड़ रुपये की लागत से नाहन, अर्की, निरमंड, पालमपुर तथा जोगिन्द्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा।

- मेरे पिछले बजट में घोषित 24X7 पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में रामपुर में वार्ड नं0 6 और 7, नालागढ़ और चम्बा में पेयजल योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। तथा अन्य 9 शहरों में इन कार्यों को शीघ्र आरम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

125. हिमाचल प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मेरे द्वारा की गई घोषणा को पूरा किया गया है तथा स्थानीय महिलाओं की भागीदारी से Village Water and Sanitation Committees का गठन करने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 69 Testing Labs स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें से 62 की accreditation, National Accreditation Board for Testing and Calibration द्वारा की जा चुकी हैं। 2024–25 में इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवम् कीटाणु रहित पेयजल उपलब्ध हो सके।

126. पिछले बजट में घोषित SoP के अनुसार पेयजल योजनाओं तथा STP में UV System लगाने के लिए 37

ऐसी sites की पहचान की गई है जहाँ जल स्त्रोतों में या तो contamination है या इसकी सम्भावना है। इन sites पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से UV System लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

127. गगरेट, डलहौजी, चुवाड़ी, रिवाल्सर, भोटा, संतोखगढ़, बैजनाथ–पपरोला और नेरचौक में Sewerage परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को गति दी जाएगी तथा उन्हें 2024–25 में पूरा करने के प्रयास किये जाएंगे। राजगढ़, बंजार, चौपाल, नेरवा तथा शाहपुर में Sewerage परियोजनाओं के निर्माण का कार्य 2024–25 में पूरा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त NABARD द्वारा स्वीकृत 16 ग्रामीण क्षेत्रों में Sewerage परियोजनाओं के निर्माण के कार्यों को 2024–25 में ही अवार्ड कर दिया जाएगा। AFD द्वारा 817 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत मनाली, पालमपुर, नाहन, करसोग तथा बिलासपुर के लिए Sewerage Treatment Plants (STP)/Waste Treatment Plants (WTP) और मनाली के लिए पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इनमें से मनाली Sewerage Network का कार्य प्रगति पर है तथा शेष कार्यों को भी शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा।

128. 380 करोड़ रुपये की लागत से 14 Surface Minor Irrigation Schemes (SMISs) का कार्य विभिन्न चरणों में है। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9 हज़ार 700 हेक्टेयर का CCA उपलब्ध करवाया जाएगा। 'प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत इन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि के आधार पर गति दी जाएगी। 'प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत 4 योजनाओं में से लाबरंग गार्डन कालौनी तथा पूह के लिए स्वीकृत योजना को पूरा करने के लिए लगभग

53 लाख रुपये की धनराशि Tribal Development Programme से उपलब्ध करवाई जाएगी।

129. 644 करोड़ रुपये की लागत से फिन्नासिंह बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना को सचिव, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation (DoWR, RD & GR) की अध्यक्षता में हुई Screening Committee की बैठक में 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana – Accelerated Irrigation Benefit Programme (PMKSY-AIBP)' के अन्तर्गत funding के लिए अनुशंसित किया गया है। इसके निर्माण से 4 हज़ार 25 हेक्टेयर का CCA उपलब्ध होगा तथा इसके साथ ही 1.88 मेगावॉट जलविद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से लगभग 290 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। केन्द्र द्वारा जारी धनराशि के आधार पर इस परियोजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी।

जल शक्ति के लिए कुल 3 हज़ार 365 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

सड़कें एवं पुल

130. अध्यक्ष महोदय, मानसून आपदा के चलते प्रदेश में सड़कों तथा पुलों को व्यापक नुकसान पहुँचा है। हमारी सरकार द्वारा बिना समय गंवाये राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा बहुत ही कम समय में सभी मुख्य सड़कें traffic के लिए खोल दी गईं। छोटी सी अवधि में 18 Bailley bridges एवम् 27 Ropeway झूलों की सहायता से क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का, जिन्होंने दिन–रात प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर बहाली का कार्य किया, दिल से धन्यवाद करता हूँ।

131. रेलवे तथा जल परिवहन के अभाव में प्रदेश को एक मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। पिछले लगभग 53 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में बहुत सी नई सड़कें बनी तथा उनके माध्यम से बहुत से गाँव जुड़े। वर्तमान में 40 हज़ार 703 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 34 हज़ार 55 किलोमीटर पक्की सड़कें तथा 2 हज़ार 478 पुल हैं। कुल 3 हज़ार 615 ग्राम पंचायतों में से 3 हज़ार 578 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्य अथवा जीप योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष बची पंचायतों में से 10 और पंचायतों को 2024–25 में मोटर योग्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा।

132. हमारी सरकार द्वारा 'प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना–।।।' के अन्तर्गत 2 हज़ार 683 किलोमीटर लम्बी 254 सड़कों के लिए 2 हज़ार 643 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 2024–25 में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किये जाएंगेः–

- 500 किलोमीटर लम्बी सड़कों की upgradation.
- 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण।
- 8 पुलों का निर्माण।
- 15 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
- इस प्रकार 'प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना' के अन्तर्गत 825 किलोमीटर लम्बी सड़कों व 8 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त 'प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना–। एवम् ।।' के अन्तर्गत 150 किलोमीटर लम्बी सड़कों में cross drainage.

133. हमारी सरकार द्वारा 2024–25 में 115 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर 631 करोड़ रुपये के व्यय से 13 पुलों सहित 19 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 4 हज़ार 490 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों को two Lane अथवा four Lane करने के लिए एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। इनमें से राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर प्रमुख कार्य निम्न हैं:–

- 500 करोड़ रुपये की लागत से सैंज – लूहरी – औट।
- 750 करोड़ रुपये की लागत से सैंज – लूहरी – औट राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर जलोड़ी पास सुंरग का निर्माण।
- 200 करोड़ रुपये की लागत से नगरोटा – बगवां – रानीताल।
- 300 करोड़ रुपये की लागत से चम्बा – भरमौर।
- 500 करोड़ रुपये की लागत से नाहन – कुम्हारहट्टी।
- लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर पुलों का निर्माण।
- लगभग 2 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य।

134. आगामी वर्ष के दौरान NABARD के माध्यम से RIDF के अन्तर्गत 205 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों, 305 किलोमीटर सड़कों पर cross-drainage,

425 किलोमीटर लम्बी सड़कों की tarring तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा।

135. Central Road Infrastructure Fund (CRIF) के अन्तर्गत निम्न 5 स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य 2024–25 में पूरा किया जाएगाः–

- जिया – मणिकर्ण सड़क पर वर्षा से हुए नुकसान का मुरम्मत कार्य।
- शाहपुर – सिंहुता – चुवाड़ी मार्ग का उन्नयन।
- ब्यास नदी पर टैरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल का निर्माण।
- बागछाल – मैहरे – बड़सर सड़क का उन्नयन।
- पंडोगा – तियूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण।

136. अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण तथा लागत को कम करने की दृष्टि से 2024–25 में 230 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर plastic waste का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक ऊँचाई वाली सड़कों पर Calcium Chloride तथा Brine Solution का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और सम्भावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

137. 2024–25 में हमारी सरकार द्वारा निम्नलिखित सड़कें तथा सम्बन्धित निर्माण कार्य पूरे किये जाएंगेः–

- ✓ 860 किलोमीटर लम्बी कुल सड़कों का निर्माण।
- ✓ 1 हज़ार 67 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर cross drainage.

- ✓ 1 हज़ार 75 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर metalling and tarring.
- ✓ 57 पुलों का निर्माण।
- ✓ 10 पंचायतों के 40 गाँवों को सड़क से जोड़ना।

सड़कों एवम् पुलों के लिए कुल 4 हज़ार 317 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

उद्योग/निजी निवेश

138. अध्यक्ष महोदय, बाज़ार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए 2019 में अधिसूचित ''औद्योगिक निवेश नीति'' में बदलाव करना अति आवश्यक है जिससे भावी निवेशकों को कम से कम समय में सभी स्वीकृतियाँ एक ही window के माध्यम से मिल जाए। इससे निवेशक और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हमारी सरकार 2024–25 में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए एक नई **''औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, 2024''** लाएगी।

139. प्रदेश के युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोज़गार की अनगिनत सम्भावनाएं हैं। युवाओं को इस ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं 2024–25 में एक नई **''स्टार्ट–अप नीति, 2024''** लाने की घोषणा करता हूँ। इस नीति के अन्तर्गत innovation के लिए तथा महिलाओं को Start-Up Venture हेतु विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं द्वारा शुरू किये गए स्टार्ट–अप को एक वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

140. उद्योग क्षेत्र राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। मेरी सरकार का प्रयास इस क्षेत्र को सर्वोत्तम eco-system प्रदान करना है। पिछले साल की आपदा के दौरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर

बहाली कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से Electricity Duty (ED) की दर बढ़ायी थी। अब, जब स्थिति में सुधार हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ कि बढ़ी हुई Electricity Duty (ED) उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी, जिन्हें 'हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति, 2019' के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक Electricity Duty (ED) का भुगतान करने में छूट दी गई थी।

141. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रभावी रूप से कई कदम उठाए गए हैं। 10 वर्ष से भी अधिक पुरानी प्रदेश की खनन नीति में कुछ बदलाव किये जाने आवश्यक हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में **"Himachal Pradesh Mines and Minerals Policy, 2024"** लाई जाएगी जिसके मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोक तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करना होंगे।

142. प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से आग से होने वाली दुर्घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं के लिए अलग मानदण्ड तय किये जाएंगे। इन मानदण्डों में औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की संख्या तथा किस्म के आधार पर chemicals, बिजली तथा अन्य कारणों से लगने वाली आग से निपटने के लिए अलग–अलग SOPs तथा chemical protection suit, foam compound tank, dry chemical powder सहित अन्य उपकरणों और सामग्री का प्रावधान किया जाएगा।

143. बद्दी–बरोटीवाला–नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र का प्रदेश के संसाधनों तथा रोज़गार सृजन में बहुत बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं निवेशकों तथा कामगारों, दोनों के लिए आवश्यक हैं। मैं, इस क्षेत्र में 70 करोड़ रुपये की लागत से

शीतलपुर से जगातखाना तक सड़क बनाने की घोषणा करता हूँ। यह सड़क 'Medical Device Park' ढेरोवाल को बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी।

परिवहन

144. अध्यक्ष महोदय, 2024–25 में 17 पैट्रोल पम्पों पर e-vehicle charging stations के साथ–साथ 'Indian Oil Corporation Ltd.' तथा 'राज्य विद्युत बोर्ड' की साझेदारी के साथ अन्य 33 पैट्रोल पम्पों पर 'e-vehicle charging stations' को पूर्ण रूप से कार्यशील किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 55 अन्य सरकारी क्षेत्र के e-vehicle charging stations को कार्यशील कर दिया जाएगा।

145. 2023–24 में की गई HRTC की डीज़ल buses को electric buses से चरणबद्ध क्रम में बदलने की घोषणा के बाद अब तक HRTC के बेड़े में 110 electric buses और 50 electric taxis हो गई हैं। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि 2024–25 में, 327 अतिरिक्त डीज़ल buses को electric buses से बदला जाएगा। इस पहल में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शुरूआती चरण में माननीय विधायकों से प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 5 रूटों पर e-buses चलाने के लिए प्राथमिकताएं मांगी गई हैं।

146. 'Rajiv Gandhi Swarozgar Start-up Yojana' के अन्तर्गत 2024–25 में 40 प्रतिशत् उपदान पर e-taxis चलाने के लिए 10 हज़ार permit दिये जाएंगे। हिमाचल को 'Green State' बनाने के प्रयासों के क्रम को जारी रखते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि 2024–25 में वन विभाग, HRTC, HPTDC तथा GAD के eligible वाहन e-vehicle से बदल दिये जाएंगे।

147. धार्मिक स्थलों के लिए बसें चलाने हेतु प्रथम दर्शन सेवा का विस्तार किया जाएगा। प्रथम चरण में,

श्री अयोध्या धाम के दर्शन के लिए विभिन्न स्थानों से 6 बसें चलाई गई हैं। 2024–25 में कुछ अतिरिक्त स्थानों से भी इस बस सेवा को चलाया जाएगा।

148. वर्ष 2024–25 में 'वाहन स्क्रैप नीति' के अन्तर्गत प्रदेश में **"Vehicle Scrapping Facility Centres (VSFCs)"** की स्थापना की जाएगी जिससे प्रदेश के सभी 12 जिलों को इसकी सुविधा मिल सके।

149. मैं घोषणा करता हूँ कि 2024–25 में Automated Testing Centres के माध्यम से सभी वाहनों की fitness अनिवार्य कर दी जाएगी ताकि वाहनों को fit declare करने में मानवीय गलती न हो।

150. परिवहन नियमों की उल्लंघना पाए जाने पर ऑनलाइन चालान के लिए विभागीय अधिकारियों को e-Challan and e-POS Machines उपलब्ध करवाई जाएंगी।

151. सभी परिवहन Barriers पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR)/Close Circuit Television (CCTV) Cameras की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके। इस प्रणाली की सहायता से traffic को भी सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी।

152. 272 करोड़ रुपये की लागत से Nature Park, मोहाल तथा बिजली महादेव के बीच Hybrid Annuity Model (HAM) पर एक 3.2 किलोमीटर लम्बे रोपवे का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा। इस रोपवे पर होने वाले लाभ का 50 प्रतिशत् अंश राज्य सरकार को प्राप्त होगा।

153. लगभग 54 करोड़ की लागत से निर्मित किये जा रहे बगलामुखी रोपवे को हाल ही में आई आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ था जिसके कारण इसकी stabilization के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक की

राशि व्यय की गई। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि इसका निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

154. हमारी सरकार प्रदेश के लोगों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणु तक की broad gauge rail line बिछाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करेगी। इसी के साथ जेजों से पोलियाँ तक की rail line बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा। इसके बिछने से प्रदेश में बन रहे 'Bulk Drug Pharma Park' तक रेल यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 2024–25 में, इन दोनों रेललाईनों के सर्वे पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

वन

155. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में Eco Tourism को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 93 Eco Tourism Sites को management and operation के लिए चरणबद्ध तरीके से outsource किया जाएगा। प्रथम चरण में, 13 Eco Tourism Sites को outsource करने के लिए 'Request for Proposal (RFP)' को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा 2024–25 में इन सभी sites को outsource कर दिया जाएगा।

156. हमारी सरकार द्वारा की गई पहल के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा working plans के आधार पर खैर की silviculture felling की अनुमति प्रदान की गई है। इससे न केवल स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी बल्कि उनको खैर के पेड़ काटने के बाद और अधिक पेड़ लगाने की प्रेरणा भी मिलेगी। 2024–25 में 10 Forest Divisions में लगभग 13 हज़ार खैर के पेड़ काटने की योजना तैयार की गई है। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। माननीय न्यायालय के इस निर्णय से प्रेरित होकर हमारी सरकार चील के पेड़ काटने की अनुमति के

लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ–साथ Eco-System Services की गुणवत्ता भी सुधरेगी।

157. 'हरित हिमाचल' की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, उपनगरीय और शहरी क्षेत्रों में 'Green Himachal', biodiversity parks, nature parks, river side parks स्थापित किये जाएंगे। इन पार्कों को Eco-friendly materials के उपयोग से डिजाइन और विकसित किया जाएगा। इस हस्तक्षेप के माध्यम से muck sites को भी बहाल किया जाएगा।

158. अध्यक्ष महोदय, मैं वनों से सम्बन्धित सभी operations को Beat level पर सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सभी 2 हज़ार 61 Forest Beats में एक–एक वन मित्र नियुक्त करने की घोषणा करता हूँ। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया 2024–25 में पूरी कर ली जाएगी। Communities की सहायता से वनों के प्रबन्धन में इन वन मित्रों की अहम् भूमिका रहेगी।

159. इसी के साथ मैं 2024–25 में वन विभाग में Forests Guards के 100 रिक्त पदों को भरने की भी घोषणा करता हूँ।

वन विभाग के लिए कुल 834 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

160. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे green बनाने के लिए मैं **''मुख्य मन्त्री हरित विकास छात्रवृति योजना''** आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत अगले 4 वर्ष में प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2 गाँव चयनित किये जाएंगे तथा राज्य के Science Postgraduates तथा Engineering Graduates को उन गाँवों में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल तक छात्रवृति दी जाएगी।

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

161. हाल ही में हुई भारी वर्षा और जलवायु में निरंतर आ रहे बदलाव के दृष्टिगत् 2024–25 से जिला स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने के लिए कार्ययोजनाएं तैयार करने का काम आरम्भ किया जाएगा। पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी।

162. 2024–25 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा GIZ के सहयोग से कृषि और बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक **'Need Assessment Study (NAS)'** शुरू की जाएगी।

163. प्रदेश में अवैध तथा unscientific mining को रोकने के उद्देश्य से एक GIS Based App आरम्भ की जाएगी जिसकी सहायता से प्रदेश में हो रही mining गतिविधियों की real time निगरानी की जाएगी।

164. प्रदेश में Geographical Indications (GI) को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आरम्भ की जाएगी जिसके माध्यम से commercial products की GI tagging की जाएगी ताकि उत्पादकों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके।

डिजीटाइजेशन, गवर्नेंस तथा सूचना प्रौद्योगिकी

165. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में Governance को और पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में 2024–25 के दौरान निम्न कदम उठाने की घोषणा करता हूँः–

- ✓ प्रदेश में Artificial Intelligence (AI) के साथ–साथ data analytics की सहायता से evidence based नीति निर्धारण के लिए एक work plan बनाकर इस दिशा में शुरूआत की जाएगी।

- ✓ 'Online Sewa Portal' के माध्यम से पहले से उपलब्ध ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को और प्रभावी ढंग से प्रदेशवासियों तक पहुँचाने के लिए एक mobile app आरम्भ की जाएगी।

- ✓ हिमाचल प्रदेश सचिवालय, निदेशालयों, सभी DC एवम् SP कार्यालयों और 253 field कार्यालयों में e-office का सफल कार्यान्वयन करने के बाद इसके माध्यम से सभी कार्यालयों में ई–हस्ताक्षर की सुविधा के साथ–साथ ऑनलाइन e-dispatch की सुविधा प्रदान की जाएगी।

- ✓ CM-Dashboard को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न विभागों को Reporting Management Portal के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विभागों से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जा सके।

- ✓ 'मुख्य मन्त्री सेवा संकल्प' हेल्पलाइन में Artificial Intelligence का प्रयोग किया जाएगा ताकि प्राप्त शिकायतों का कम से कम समय में निवारण किया जा सके।

- ✓ गत् वर्ष विकसित किये गए DBT Portal को 'National DBT Portal' के साथ जोड़ा जाएगा जिससे दोनों Portals की सूचना को साझा किया जा सके।

- ✓ निवेशकों द्वारा किये गए 5G connectivity के लिए ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु Right of Way (RoW) Portal को

आवश्यक संशोधनों सहित अपडेट किया जाएगा।

- ✓ State Data Centre (SDC) की upgradation का कार्य अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इसमें उपलब्ध data और अन्य सूचना की सुरक्षा के लिए नवीनतम उपाय किये जाएंगे।

- ✓ हिम परिवार रजिस्ट्री के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि प्रदेशवासियों को विभिन्न सेवाओं का लाभ कम से कम समय में मिल सके।

भू–प्रशासन, सुधार

166. अध्यक्ष महोदय, 2024–25 से 'मेघ–जमाबंदी' के अन्तर्गत कोई भी नागरिक किसी भी समय ज़मीन से सम्बन्धित रिकॉर्ड की प्रतियाँ download कर सकेगा। इसी पोर्टल पर UPI/Debit Card/Credit Card इत्यादि के माध्यम से शुल्क भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

167. 'मेघ–चार्ज' के अन्तर्गत 'Kisan Credit Card' ऋण लेने के लिए सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके माध्यम से बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों तथा तहसील कार्यालयों में बार–बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी औपचारिकताएं इस एकीकृत module के माध्यम से पूरी करके बहुत कम समय में ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

168. सम्पत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को और सरल बनाने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान मेघ–पंजीकरण module के माध्यम से आरम्भ किया जाएगा। इसी

तरह मेघ–म्यूटेशन module के उपयोग से ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

169. बहुत से भू–अभिलेखों का वर्णन कठिन शब्दों में उपलब्ध है। इन भू–अभिलेखों का अनुवाद संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध विभिन्न भाषाओं में करवाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा।

अतिरिक्त संशाधन

170. अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पिछले बजट में घोषित अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों के अनुक्रम में मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- ❖ करदाताओं की सुविधा के लिए VAT तथा अन्य करों के भुगतान के लिए 2024–25 में एक 'Mobile App' की शुरूआत की जाएगी। इस App के प्रयोग से करदाता ऑनलाइन कर भुगतान कर सकेंगे।

- ❖ प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवम् व्यापार केन्द्रों पर विभिन्न करदाताओं से feedback लेने तथा उन्हें पेश आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से **'करदाता संवाद अभियान'** आरम्भ किया जाएगा इससे प्रदेश की कर एवम् आबकारी प्रणाली को और सरल तथा पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी।

गृह/कानून व्यवस्था

171. अध्यक्ष महोदय, 2024–25 में 50 करोड़ रुपये की लागत से शहरी क्षेत्रों में स्थित police stations के प्रांगण अथवा station के आस–पास उनमें कार्यरत police staff के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्माण कार्य किया जाएगा।

172. अध्यक्ष महोदय, पिछले बहुत समय से पुलिस कर्मियों की डाइट मनी में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

मैं, पुलिस कर्मियों को वर्तमान में दी जा रही 210 रुपये की डाइट मनी को लगभग 5 गुणा बढ़ाकर 1,000 रुपये करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। इस प्रकार पुलिस कर्मियों को लगभग 9 हज़ार रुपये से अधिक प्रतिवर्ष लाभ होगा। इससे लगभग 18 हज़ार पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे। इससे 16 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक व्यय होंगे।

173. अगले 5 वर्षों में, प्रदेश की 1 प्रतिशत् जनता को 'Civil Defence Scheme' के अन्तर्गत लाया जाएगा। यह पहल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा राहत कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

174. अग्निशमन से सम्बन्धित NOC देने तथा उसे withdraw करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'Himachal Pradesh Fire Fighting Services Rules' अधिसूचित किये जाएंगे।

175. मैं, 2024–25 में, काँगड़ा के चंगर बड़ोह में sub fire station, मण्डी के कोटली और लडभड़ोल में fire post खोलने तथा ठियोग स्थित fire post को sub fire station में उन्नयन करने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त निरमंड, कुनिहार और उबादेश (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा काँगड़ा के चुहार घाटी में अग्निशमन इकाईयाँ खोलने की भी घोषणा करता हूँ।

खेल एवं युवा सेवाएं

176. प्रदेश के युवाओं को खेलों में बढ़–चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2024–25 में एक नई खेल नीति लाई जाएगी। इसके अन्तर्गत मैं सहर्ष निम्न घोषणा करता हूँः–

- ओलम्पिक्स खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तथा

कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- एशियन खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये किया जाएगा।

- कॉमन वैल्थ खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि दी जाएगी।

- राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 Tier किराया दिया जाएगा। तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए economy class air fare दिया जाएगा।

- सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3 प्रतिशत् खेल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।

- मैं विभिन्न स्तरों की प्रतिस्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों को दी जाने वाली डाइट मनी में बढ़ौतरी करने के बाद निम्न की घोषणाएं करता हूँः–

  - प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।

  - अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।

  - सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपये प्रतिदिन दिये जाएंगे।

  - प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तथा 400 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।

177. अध्यक्ष महोदय, मैं 2024–25 में निम्न खेल परिसरों के निर्माण कार्य आरम्भ करने की घोषणा करता हूँः–

- ❖ हमीरपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

- ❖ ऊना के पंजोआ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

- ❖ मनाली बंदरोल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।

- ❖ रैहन में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।

- ❖ देहरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
- ❖ खरीड़ी, नादौन में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ❖ कसुम्पटी में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ❖ जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ❖ ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।

सूचना एवं जन सम्पर्क

178. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को Films की shooting के लिए एक favourite destination बनाने के उद्देश्य से 2024–25 से हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी, 2024 का कार्यान्वयन किया जाएगा। इसके तहत राज्य स्तर पर एक 'Film Development Council' का गठन किया जाएगा तथा सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग में 'Film Facilitation Cell' की स्थापना की जाएगी। फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए web portal की स्थापना की जाएगी।

179. सरकारी योजनाओं तथा विकास नीतियों को प्रभावी रूप से विभिन्न web channels, news websites और Social Media Influencers के माध्यम से प्रसारित एवम् प्रचारित करने के लिए 'Digital Media Policy, 2024' का कार्यान्वयन किया जाएगा।

180. सरकारी कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना को 'हिमसूचना कोष' Data App के माध्यम से संकलित किया जाएगा जिससे कि प्रकाशन

के लिए तथा प्रैस में देने योग्य सूचना को तुरन्त ही प्राप्त करके प्रैसनोट अथवा लेख प्रिंट किये जा सकें।

सैनिक कल्याण

181. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार युद्ध तथा शांति के समय में प्रदेश के लगभग 3 लाख भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों, युद्ध विधवाओं एवम् शौर्य पुरस्कार विजेताओं द्वारा दी गई सेवाएं तथा उनके बलिदान के लिए उनकी सदैव ऋणी रहेगी।

182. मैं घोषणा करता हूँ कि 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, जिनको और कोई पेंशन नहीं मिलती है, को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमास कर दिया जाएगा।

183. हमारी सरकार 2024–25 में सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत् पदों को प्राथमिकता पर भरा जाए।

सहकारिता

184. अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले बजट में घोषित प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं की computerization के अनुक्रम में इन्हें सहकारी बैंकों, सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय database से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा इसे तय समय सीमा 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है।

मानदेय वृद्धि

185. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज़ कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूँः–

- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

- मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 400 रुपये बढ़ौतरी के साथ अब 7,000 रुपये मिलेंगे।

- आँगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 300 रुपये की बढ़ौतरी के साथ अब 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- आशा वर्कर को 300 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

- सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये बढ़ौतरी की जाएगी।

- मिड डे मील वर्कर्ज़ को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- जल रक्षक को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 6,300 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पंचायत चौकीदार को 1,000 रुपये की बढ़ौतरी के साथ 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- राजस्व चौकीदार को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- राजस्व लम्बरदार को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

- IT Teachers को 1,900 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

- SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी।

विधायक प्राथमिकताएं

186. प्रत्येक वर्ष की भाँति माननीय विधायकों के साथ हुई बैठकों के दौरान सामने आए सुझावों के आधार पर मैं निम्न घोषणाएं करता हूँः–

- ✓ शिमला विधानसभा चुनाव क्षेत्र शहरी क्षेत्र होने के कारण नाबार्ड के RIDF के अन्तर्गत विधायक प्राथमिकता योजनाओं की स्वीकृति हेतु पात्र नहीं है। यही समस्या धर्मशाला, मण्डी, सोलन तथा पालमपुर नगर निगमों में पड़ने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में भी आने वाली है। मैं इन पाँच शहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए National Housing Bank के माध्यम से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अन्तर्गत इन शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृत करवाने की घोषणा करता हूँ।

- ✓ हमारी सरकार के 'व्यवस्था परिवर्तन' के संकल्प के अनुक्रम में, मैं वित्तीय वर्ष 2024–25 से विधायक प्राथमिकताओं के

स्वरूप में भी परिवर्तन करने की घोषणा करता हूँ। अब माननीय विधायकों द्वारा सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं अथवा लघु सिंचाई योजनाओं की तीन वास्तविक नई स्कीमों की प्राथमिकताएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त में से एक प्राथमिकता किसी भी पूर्व निर्मित स्कीम के रख–रखाव से सम्बन्धित दी जा सकेगी। पाँचवी प्राथमिकता HRTC के वर्तमान रूट पर electric bus चलाने तथा आवश्यक charging stations से सम्बन्धित होगी।

- ✓ Overhead बिजली की तारों तथा अधूरे 'मुख्य मन्त्री लोक भवनों' का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के अन्तर्गत प्रावधान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'मुख्य मन्त्री आवास योजना' के दिशा–निर्देशों के अनुरूप यदि माननीय विधायक किसी भी श्रेणी के लाभार्थी के आवास बनाने के लिए अनुशंसा करना चाहे तो वे इस निधि से कर पाएंगे।

- ✓ इसी के साथ विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 20 करोड़ रुपये बढ़ाकर, 175 करोड़ रुपये से 195 करोड़ रुपये करने की भी मैं घोषणा करता हूँ। प्रदेश को हरित विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई राशि में से प्राथमिकताएं electric buses चलाने तथा charging stations से सम्बन्धित होंगी।

- ✓ 'विधायक ऐच्छिक निधि' को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।

- ✓ 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि को 2 करोड़ 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ 20 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

187. अध्यक्ष महोदय, पूंजीगत कार्यों को शुरू करने के लिए जन प्रतिनिधियों के पास बहुत अधिक मांग रहती है, जोकि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कहीं अधिक है। इस प्रक्रिया में हर साल नए कार्य शुरू होते हैं जबकि पहले से चल रहे कार्य संसाधनों की कमी के कारण रूक जाते हैं। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चल रहे अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। मैं घोषणा करता हूँ कि चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए 2024–25 में कम से कम 1 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और उन कार्यों पर जोर दिया जाएगा जो पूरा होने के करीब हैं। राज्य के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि चल रहे कार्यों को पूरा करने को महत्व दिया जा रहा है।

कर्मचारी कल्याण

188. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ की महत्वपूर्ण योगदान को समझती है। उनके बढ़े हुए वेतन के एरियर्ज़ के भुगतान के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कर्मचारी व पेंशनर्ज़ बहनों और भाईयों को भी वर्तमान सरकार को पुरानी सरकार से विरासत में मिली विकट वित्तीय स्थिति की जानकारी है। दशकों से हिमाचल सरकार पंजाब सरकार के वेतनमानों का अनुसरण करती आई है। अभी तक पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है।

189. कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं, निम्नलिखित घोषणाएं करता हूँः–

- सभी कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ के वेतन तथा पेंशन से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।

- 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के leave encashment and gratuity से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।

- मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि 1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत् की दर से मँहगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय किये जाएंगे।

- प्रदेश के कर्मचारी अभी तक अपने सेवाकाल के अंत में केवल एक बार All India Leave Travel Concession (LTC) ले सकते हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा ले पाएंगे।

- दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

- आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

- पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7 हज़ार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7 हज़ार 500 किया जाएगा।

हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा।

बजट अनुमान

190. अध्यक्ष महोदय, अब, मैं 2023–24 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ 40 हज़ार 446 करोड़ रुपये हैं। 2023–24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 45 हज़ार 926 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। 2023–24 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 5 हज़ार 480 करोड़ रुपये का राजस्व deficit अनुमानित हैं।

191. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024–25 के लिए 58 हज़ार 444 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

192. वर्ष 2024–25 में राजस्व प्राप्तियाँ 42 हज़ार 153 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 46 हज़ार 667 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4 हज़ार 514 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10 हज़ार 784 करोड़ रुपये अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 प्रतिशत् है।

193. 2024–25 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से, वेतन पर 25 रुपये, पैंशन पर 17 रुपये, ब्याज अदायगी पर 11 रुपये, ऋण अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10 रुपये, जबकि शेष 28 रुपये पूँजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किये जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेज़ों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

194. अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिन्दु **अनुबन्ध** में दर्शाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

जय हिन्द – जय हिमाचल

बजट सांराश

बजट के मुख्य बिन्दु

- **58 हज़ार 444 करोड़ रुपये का बजट आकार प्रस्तावित।**
- **2023–24 के दौरानः–**
  - **प्रदेश की अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत्।**
  - **प्रतिव्यक्ति आय 2 लाख 35 हज़ार 199 रुपये अनुमानित।**
  - **राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 7 हज़ार 430 करोड़ रुपये अनुमानित।**
- **'आत्मनिर्भर हिमाचल'**
- समृद्ध किसान हिमाचल
- हरित और स्वच्छ हिमाचल
- बिजली राज्य हिमाचल
- पर्यटन राज्य हिमाचल
- कुशल और दक्ष हिमाचल
- स्वस्थ एवम् शिक्षित हिमाचल
- निवेशक मित्र हिमाचल
- नशा मुक्त हिमाचल
- अवैध खनन मुक्त हिमाचल
- समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल

1. समृद्ध किसान हिमाचल

- ✓ किसानों को **'आत्मनिर्भर'** बनाने की दिशा में प्राकृतिक खेती के अन्तर्गत रोज़गार के अवसर तथा आय में वृद्धि।
- ✓ बेरोज़गार युवाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गये गेहूँ को 40 रुपये तथा मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य।

- ✓ 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा।
- ✓ 'हिमाचल प्रदेश कृषि मिशन' के अन्तर्गत 2 हज़ार 500 कृषि क्लस्टर समूहों को विकसित करके विभिन्न क्षेत्रों में high value फसलों को बढ़ावा।
- ✓ मोटे अनाज (Millets) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना।
- ✓ शिमला जिले में मेहंदली तथा शिलारू तथा कुल्लू जिला में बंदरोल में नई मंडियों का निर्माण।
- ✓ सिरमौर में पाँवटा साहिब, खैरी, घंडूरी और नौहराधार; कुल्लू में चौरीबिहाल, पतलीकुहल और खेगसू; मण्डी में टकोली और कांगनी; काँगड़ा में जसूर, पासू तथा पालमपुर; तथा सोलन में परवाणू, कुनिहार और वाकनाघाट मंडियों का उन्नयन।
- ✓ किसानों की सुविधा के लिए Chat Bot और AI पर आधारित भू–अभिलेख, हेल्पडैस्क तथा किसानों के database सहित एक web आधारित कृषि पोर्टल और Mobile App बनाया जाएगा।
- ✓ सब्जी उत्पादन के माध्यम से किसानों को उचित गुणवत्ता की पौध तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए एक **'Centre of Excellence Hi-Tech Vegetable Nursery Production'** खोला जाएगा।
- ✓ पशुपालन तथा दूध उत्पादन को प्राकृतिक खेती से जोड़कर गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्तमान 38 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 47 रुपये प्रति लीटर से 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ौतरी।
- ✓ 'हिम–गंगा' योजना के अन्तर्गत काँगड़ा के ढगवार में 1.5 LLPD (Lakh Litre Per Day) की क्षमता वाले **'Fully Automated Milk and Milk Products Plant'** की स्थापना।
- ✓ ऊना तथा हमीरपुर में भी आधुनिकतम तकनीक से 'Milk Processing Plants' स्थापित किये जाएंगे।
- ✓ स्थानीय युवाओं को दूध ले जाने के लिए 50 प्रतिशत् उपदान पर 200 refrigerated milk vans उपलब्ध।

- ✓ सोलन जिले के दाड़लाघाट में **'कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केन्द्र'** की स्थापना।

- ✓ प्रदेश में भेड़–बकरियों के लिए FMD Vaccination शुरू करने तथा ऊन की अन्य समस्याओं के निदान के लिए **"भेड़–बकरी पालक प्रोत्साहन योजना"** प्रारम्भ।

- ✓ 1 अप्रैल, 2024 से दुग्ध उत्पादन सोसाइटियों से APMC द्वारा ली जाने वाली फीस माफ।

- ✓ बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान के लिए एक 'State Level Task Force' का गठन किया जाएगा।

- ✓ निजि गौ–सदनों में आश्रित गौवंश के लिए दिये जाने वाले अनुदान 700 रुपये प्रति गौवंश प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,200 रुपये।

- ✓ एक **'बागवानी उत्कृष्टता केन्द्र'** की स्थापना। जो गुणवत्ता, कौशल, पर्यटन तथा बाज़ार सम्बन्धित आवश्यकताओं हेतु 'One Stop Resource Centre' के रूप में कार्य करेगा।

- ✓ राज्य के Sub-tropical क्षेत्रों में 2 अत्याधुनिक **'Fruit Processing Unit'** स्थापित किये जाएंगे।

- ✓ अमरूद, नीम्बू तथा अन्य sub-tropical फलों को बढ़ावा देने के लिए mother trees/ bud wood banks के लिए **'Foundation Block'** की स्थापना की जाएगी।

- ✓ 2024 के सेब सीज़न से universal carton का प्रयोग आरम्भ कर दिया जाएगा।

- ✓ 20 हेक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80 प्रतिशत् उपदान पर आर्थिक सहायता दी जाएगी।

- ✓ जिला हमीरपुर में 'Centre of Excellence' के रूप में एक नए 'Carp Fish Farm' की स्थापना।

- ✓ मछुआरों को मोटरसाईकिल, थ्री–व्हीलर तथा ice-boxes उपदान पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

- ✓ 10–10 नए 'Biofloc Fish Production' तालाबों तथा इकाईयों की स्थापना की जाएगी।
- ✓ तीन नई 'Feed Mills' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ 150 नई ट्राउट मछली उत्पादन इकाईयों सहित नई trout hatcheries की स्थापना की जाएगी।

2. हरित, स्वच्छ तथा बिजली राज्य हिमाचल

- ✓ पेखुबेला स्थित 32 मैगावॉट क्षमता वाले हिमाचल के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजैक्ट को मार्च, 2024 तक के अंत तक commission किया जाएगा।
- ✓ ऊना में अघलोर स्थित 10 मैगावॉट क्षमता वाला 'सोलर पावर प्लांट' जून, 2024 तक बनकर तैयार।
- ✓ ऊना के भांजल में 5 मैगावॉट क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजैक्ट का सितम्बर, 2024 तक लोकार्पण।
- ✓ 'राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना' के अन्तर्गत निजि भूमि पर 45 प्रतिशत् उपदान पर 100 से 500 किलोवॉट तक के सोलर पैनल लगाने के कार्य में गति।
- ✓ बाल एवम् बालिका आश्रमों तथा वृद्ध आश्रमों और Rajiv Gandhi Day Boarding Schools में ग्रिड से जुड़े Roof Top Solar Plant और Water Heating System स्थापित।
- ✓ Re-vamped Distribution Sector Scheme के माध्यम से Aggregate Technical and Commercial (AT&C) Losses को कम करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन।
- ✓ बिजली उत्पादन के साथ–साथ एक Efficient Transmission and Distribution Network के लिए चार transmission lines तथा 6 EHV sub-station पूरे किये जाएंगे।
- ✓ 327 अतिरिक्त डीज़ल buses को electric buses से बदला जाएगा।
- ✓ 'Rajiv Gandhi Swarozgar Start-up Yojana' के अन्तर्गत 40 प्रतिशत् उपदान पर e-taxis चलाने के लिए 10,000 permit दिये जाएंगे।

- ✓ वन विभाग, HRTC, HPTDC के सभी तथा GAD के पात्र वाहन e-vehicle से बदल दिये जाएंगे।
- ✓ 'वाहन स्क्रैप नीति' के अन्तर्गत प्रदेश में **"Vehicle Scrapping Facility Centres (VSFCs)"** की स्थापना।
- ✓ 'हरित हिमाचल' की दिशा में 'Green Himachal', biodiversity parks, nature parks, river side parks स्थापित किए जाएंगे।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास तथा उसे green बनाने के लिए **''मुख्य मन्त्री हरित विकास छात्रवृति योजना''** आरम्भ।
- ✓ कृषि और बागवानी क्षेत्र पर बदलती जलवायु के विपरीत प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में एक **'Need Assessment Study (NAS)'** शुरू।
- ✓ Forest Clearance cases के शीघ्र निपटान के लिए जिला स्तरीय समीतियों का गठन।

३. <u>पर्यटन राज्य हिमाचल</u>

- ✓ काँगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए Rehablitation and Resettlement (R&R) Plan को शीघ्र ही अंतिम रूप देकर भू–अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
- ✓ पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी Home Stay Units को 'Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act' के अधीन लाया जाएगा।
- ✓ १६ प्रस्तावित Heliports में से प्रथम चरण में ९ Heliports क्रमशः हमीरपुर में जसकोट; काँगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर; चम्बा में सुल्तानपुर; कुल्लू में आलू ग्राऊंड, मनाली; किन्नौर में शारबो; तथा लाहौल–स्पिति में जिस्पा, सिस्सू और रांगरिक में।
- ✓ कुफरी के नजदीक हासन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर एक sky walk bridge.
- ✓ Nature Park, मोहाल तथा बिजली महादेव के बीच Hybrid Annuity Model (HAM) पर एक ३.२ किलोमीटर लम्बे रोपवे का निर्माण कार्य आरम्भ।

- ✓ स्वदेश दर्शन–2 के अन्तर्गत पौंग डैम के विकास और प्रबन्धन के लिए एक master plan तैयार किया जाएगा।
- ✓ लाहौल–स्पिति में चंद्रताल, काज़ा और तांदी तथा किन्नौर में रकछम और नाको – चांगो – खाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा।
- ✓ पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणु तक की broad gauge rail line तथा जेजों से पोलियाँ तक की रेललाईन बिछाने के लिए भी भारत सरकार से अनुरोध।

4. स्वस्थ, शिक्षित, कुशल एवम् दक्ष, हिमाचल

- ✓ 'Dr. Radhakrishnan Medical College, Hamirpur' में आधुनिकतम diagnostic तथा treatment facilities के साथ 'State Cancer Institute' की स्थापना।
- ✓ कैंसर पीड़ित मरीजों को chemotherapy तथा Palliative Care की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों तथा चयनित 'आदर्श स्वास्थ्य केन्द्रों' पर **"Cancer Day Care Centres"** की स्थापना।
- ✓ Indira Gandhi Medical College, Shimla में कैंसर पीड़ित रोगियों के Advanced Radio Therapy तकनीक से उपचार के लिए LINAC (Linear Accelerator Machine) स्थापित।
- ✓ 'PGI Satellite Centre, Una' में चल रहे सभी कार्यों को गति।
- ✓ 53 स्वास्थ्य संस्थानों में 'Hospital Management Information Service (HMIS)' की स्थापना।
- ✓ Scrub Typhus के बढ़ते हुए मामलों के दृष्टिगत् मैं 'State Level Scrub Typhus Research Unit' स्थापित।
- ✓ Dr. Rajinder Prasad Government Medical College, Tanda और Kamla Nehru Hospital, Shimla में नवजात शिशुओं में स्तनपान को प्रोत्साहित करने के लिए उनके तथा जच्चाओं के लिए 'Lactation Management Centres' स्थापित।
- ✓ प्रत्येक जिले में सभी टैस्ट सुविधाओं सहित एक 'Integrated Public Health Lab' की स्थापना।

- ✓ Dr. Rajindra Prasad Medical College, Tanda में General Nursing and Midwifery (GNM) स्कूल को नर्सिंग कॉलेज में स्तरोन्नत।
- ✓ बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ, परवाणु, पाँवटा और ऊना औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी कामगारों की health screening के लिए एक 'Guest Worker Screening Project' आरम्भ।
- ✓ 'हिमकेयर' तथा 'सहारा' योजनाओं के कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर के domain experts की सहायता से आवश्यक सुधार।
- ✓ प्राथमिक, प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उचित गुणवत्ता और size के class-rooms, smart class-rooms with smart boards, audio-visual teaching aids, leaning software, proper seating arrangements; full strength of teachers, playground, clean toilets के साथ–साथ अन्य सभी सुविधाएं।
- ✓ 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें तीन साल का pre-school 'बाल वाटिका' पाठ्यक्रम भी शामिल।
- ✓ शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 'Institutions of Excellence' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- ✓ स्कूलों और समाज के बीच बेहतर ताल–मेल के लिए तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए **''अपना विद्यालय–मेरा विद्यालय–मेरा सम्मान''** योजना प्रारम्भ।
- ✓ प्रत्येक उप–मण्डल में उप–मण्डलाधिकारियों को सभी primary schools का महीने में एक दिन बारी–बारी से अनिवार्य रूप से review meeting.
- ✓ सभी शिक्षण संस्थाओं की वार्षिक Ranking और उनके लिए Performance Based Grant की व्यवस्था की शुरूआत।
- ✓ पढ़ने–पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में **''पढ़ो हिमाचल''** के नाम से एक व्यापक जन अभियान प्रारम्भ।
- ✓ शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक result oriented बनाने के लिए District Institute of Education Training (DIETs) तथा State

Council of Educational Research (SCERT) के नियमों में बदलाव लाकर State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT) का पुनर्गठन।

- ✓ सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक सुरक्षित एवम् स्वच्छ पानी की बोतल उपलब्ध करवाई जाएगी।
- ✓ पाँचवी कक्षा से हिमाचल के इतिहास एवम् संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, basic hygine तथा अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरम्भ।
- ✓ प्रत्येक जिला मुख्यालय, उपमण्डल तथा पंचायत मुख्यालय पर एक आधुनिकतम सुविधाओं सहित पुस्तकालय।
- ✓ पाँच राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों क्रमशः लाहडू और नगरोटा बगवां (काँगड़ा), अमलेहड़ और भोरंज (हमीरपुर), तथा संगनाई (ऊना) का निर्माण कार्य आरम्भ।
- ✓ श्रम विभाग की EEMIS पोर्टल पर निजी क्षेत्र के और employers को जोड़ा जाएगा तथा 2024–25 में 180 campus interviews आयोजित किये जाएंगे।

5. निवेशक मित्र हिमाचल

- ✓ किन्नौर, चम्बा और लाहौल व स्पिति में 4 Antifreeze पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य।
- ✓ शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर शहरी विकास निदेशालय में एक पर्यावरण cell की स्थापना।
- ✓ ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ– पपरोला तथा नेरचौक में 135 Litres Per Capita Per Day (LPCD) की क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा।
- ✓ नाहन, अर्की निरमंड, पालमपुर तथा जोगिन्द्रनगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ।
- ✓ 500 किलोमीटर लम्बी सड़कों की upgradation, 325 किलोमीटर नईं सड़कों तथा 8 पुलों का निर्माण।
- ✓ 15 बस्तियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।

- ✓ NABARD के माध्यम से RIDF के अन्तर्गत 205 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों, 305 किलोमीटर सड़कों पर cross-drainage, 425 किलोमीटर लम्बी tarred सड़कों तथा 27 पुलों का निर्माण किया जाएगा।
- ✓ CRIF के अन्तर्गत 5 स्वीकृत सड़कों, जिया – मनीकरण सड़क, शाहपुर – सिंहुता – चुवाड़ी मार्ग तथा बागछाल – मैहरे – बड़सर का उन्नयन, यास नदी पर टैरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल तथा पंडोगा तियूड़ी में स्वां नदी पर पुल का निर्माण।
- ✓ अधिक ऊँचाई वाली सड़कों पर calcium chloride तथा Brine Solution का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और सम्भावित दुर्घटनाओं को टाला जा सके।
- ✓ एक नई **''औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, 2024''** आरम्भ।
- ✓ युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई **''स्टार्ट–अप नीति, 2024''** आरम्भ।
- ✓ बढ़ी हुई Electricity Duty (ED) उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी, जिन्हें 'हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति, 2019' के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक ED का भुगतान करने में छूट दी गई थी।
- ✓ शीतलपुर से जगातखाना तक सड़क बनाई जाएगी जो 'Medical Device Park' ढेरोवाल को बद्दी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ेगी।
- ✓ हिमाचल प्रदेश को Films की shooting के लिए हिमाचल प्रदेश फिल्म पॉलिसी, 2024 का कार्यान्वयन।
- ✓ सूचना एवम् जन सम्पर्क विभाग में 'Film Facilitation Cell' की स्थापना की जाएगी।
- ✓ फिल्मों की शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा अनुमति प्रदान करने के लिए web portal की स्थापना।
- ✓ पाँच शहरी विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए National Housing Bank के माध्यम से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के अन्तर्गत इन शहरी क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं को स्वीकृति।

6. नशा मुक्त हिमाचल

- ✓ राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कण्डाघाट में एक **''आदर्श नशा निवारण केन्द्र''** की स्थापना।
- ✓ उपमण्डल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक 'effective monitoring and reporting system' की स्थापना।
- ✓ हमीरपुर तथा ऊना के पंजोआ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
- ✓ मनाली बंदरोल में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण।
- ✓ रैहन और देहरा में स्विमिंग पूल सुविधा के साथ इंडोर स्टेडियम का निर्माण।
- ✓ खरीड़ी, नादौन में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ✓ कसुम्पटी में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ✓ जयसिंहपुर में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ✓ ढली बाईपास में इंडोर बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण।
- ✓ ओलम्पिक्स खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 5 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 3 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ रुपये।
- ✓ एशियन खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 4 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए ढाई करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए डेढ़ करोड़ रुपये किया जाएगा।
- ✓ कॉमन वैल्थ खेलों में व्यक्तिगत् स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 2 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये किया जाएगा।
- ✓ टीम स्पर्धाओं में विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को प्राप्त पदक के आधार पर उपरोक्त पुरस्कार राशि में से प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिनिधित्व के अनुपात में बराबर राशि।
- ✓ राज्य से बाहर 200 किलोमीटर की दूरी तक खेल स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को AC 3 Tier

किराया तथा 200 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्थानों पर जाने के लिए economy class air fare।

- ✓ सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न पदों पर 3 प्रतिशत् खेल कोटा के अन्तर्गत सम्मिलित वर्तमान 43 खेलों की संख्या को बढ़ाया जाएगा।
- ✓ प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 250 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
- ✓ अन्य सभी खिलाड़ियों को प्रदेश में होने वाली खेलों में भाग लेने पर 400 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
- ✓ सभी खिलाड़ियों को प्रदेश के बाहर होने वाली खेलों में भाग लेने पर समान रूप से 500 रुपये प्रतिदिन डाइट मनी।
- ✓ प्रदेश के खेल हॉस्टलों में रहने वाले सभी खिलाड़ियों को उपरोक्त के अनुसार 250 रुपये तथा 400 रुपये की डाइट मनी दी जाएगी।

7. अवैध खनन मुक्त हिमाचल

- ✓ सभी परिवहन Barriers पर Automatic Number Plate Recognition (ANPR)/Close Circuit Television (CCTV) Cameras की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे कर चोरी को समाप्त किया जा सके और सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हो सके।
- ✓ करदाताओं की सुविधा के लिए VAT तथा अन्य करों के भुगतान के लिए 'mobile app' की शुरूआत।
- ✓ प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक एवम् व्यापार केन्द्रों पर विभिन्न करदाताओं से feedback लेने तथा उन्हें पेश आ रही समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से 'करदाता संवाद अभियान' आरम्भ किया जाएगा।
- ✓ अवैध तथा unscientific mining को रोकने के उद्देश्य से एक GIS Based App आरम्भ।

8. समृद्ध और सम्पन्न हिमाचल

- ✓ वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा transgender पेंशन के 40 हज़ार नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित।

- ✓ दिव्यांगजनों की उच्च शिक्षा के लिए कण्डाघाट में एक **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"** की स्थापना। इसमें आवासीय सुविधाओं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाओं सहित पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने के लिए किराये के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- ✓ 0–27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं।
- ✓ **"Institute for Children with Special Disabilities (ICSA, Dhalli)"** को **"Centre of Excellence for Education of Divyangjans"** में स्थानान्तरित।
- ✓ नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख आरोग्य योजना''** आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी ऐसे वृद्धों, जोकि आयकर न दे रहे हों, को मुफ्त चिकित्सा सुविधा।
- ✓ एक नई योजना **''मुख्य मन्त्री सुख–शिक्षा योजना''** आरम्भ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों की शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी।
- ✓ विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता–पिता के सभी पात्र बच्चों के RD खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे।
- ✓ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए बाज़ार मांग के अनुरूप GST, Tally, Artificial Intelligence, Data Management, Machine Learning, Cyber Security, Auto-CAD इत्यादि नए Courses.
- ✓ वाल्मीकि समाज के भाईयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना **''महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना''** आरम्भ।
- ✓ मनरेगा दिहाड़ी में 60 रुपये की बढ़ौतरी। विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
- ✓ 'मुख्य मन्त्री विधवा एवम् एकल नारी आवास योजना' के अन्तर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों को गृह निर्माण के लिए दी जा रही डेढ़ लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये।

- ✓ नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला और नगर परिषद् नालागढ़ और परवाणू में Economically Weaker Sections (EWS)/slumdwellers से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों को 363 मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है।
- ✓ Artificial Intelligence (AI) के साथ–साथ data analytics की सहायता से evidence based नीति निर्धारण के लिए work plan की शुरूआत की जाएगी।
- ✓ निवेशकों द्वारा किये गए 5G connectivity के लिए ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र निपटारे हेतु Right of Way (RoW) Portal को आवश्यक संशोधनों सहित अपडेट।
- ✓ State Data Centre (SDC) की upgradation का कार्य अगस्त, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
- ✓ हिम परिवार रजिस्ट्री के सफल कार्यान्वयन के बाद विभिन्न नागरिक सेवाओं को इसके साथ एकीकृत किया जाएगा।
- ✓ ऑनलाइन चालान के लिए विभागीय अधिकारियों को e-Challan and e-POS Machines उपलब्ध करवाई जाएंगी।

9. कर्मचारी, पैरा वर्कर्ज़, मनरेगा कामगार, तथा अन्य वर्गों का कल्याण

- ✓ कर्मचारियों और पेंशनर्ज़ के वेतन तथा पेंशन से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू।
- ✓ 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के leave encashment and gratuity से सम्बन्धित एरियर्ज़ का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू।
- ✓ 1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत् की दर से मँहगाई भत्ते की किश्त जारी।
- ✓ 1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार LTC की सुविधा।
- ✓ दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

- ✓ आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- ✓ पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7 हज़ार रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7 हज़ार 500 किया जाएगा।
- ✓ बढ़े हुए मानदेय के साथ आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,000 रुपये मासिक, मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका को 5,500 रुपये, आशा वर्कर को 5,500 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ को 4,500 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 5,000 रुपये, जल रक्षक को 5,300 रुपये, जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 5,000 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प–ऑपरेटर को 6,300 रुपये, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ौतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 12,000 रुपये, पंचायत चौकीदार को 8,000 रुपये, राजस्व चौकीदार को 5,800 रुपये, राजस्व लम्बरदार को 4,200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500 रुपये, SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,900 रुपये, IT Teachers को 1,900 रुपये, SPOs को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।
- ✓ पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद के अध्यक्षों के मानदेय में 4,000 रुपये, उपाध्यक्षों के 3,000 रुपये, सदस्य जिला परिषद के 1,300 रुपये, अध्यक्ष, पंचायत समिति के 1,900 रुपये, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 1,400 रुपये, सदस्य, पंचायत समिति के मानदेय में 1,200 रुपये, प्रधान के मानदेय में 1,200 रुपये व उप प्रधान ग्राम पंचायत के मानदेय में 800 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि के साथ सदस्य ग्राम पंचायत को प्रति बैठक मिलने वाले मानदेय में 250 रुपये की वृद्धि।
- ✓ स्थानीय नगर निकायों में महापौर के मानदेय में 4,000 रुपये, उप–महापौर नगर निगम के मानदेय में 3,000 रुपये, काऊंसलर नगर निगम के मानदेय में 1,400 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1,700 रुपये, उपाध्यक्ष नगर परिषद के मानदेय में 1,400 रुपये, पार्षद नगर परिषद के मानदेय में 700 रुपये तथा प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,400 रुपये, उप–प्रधान नगर पंचायत के मानदेय में 1,100 रुपये एवम् सदस्य नगर पंचायत के मानदेय में 700 रुपये की वृद्धि।

- ✓ सभी 2 हज़ार 61 Forest Beats में एक–एक वन मित्र की नियुक्ति।
- ✓ वन विभाग में Forests Guards के 100 रिक्त पदों की भर्ती।
- ✓ पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़कर 1,000 रुपये की गई।

10. अन्य

- ✓ सभी वाहनों की Fitness, Automated Testing Centres के माध्यम से अनिवार्य।
- ✓ बगलामुखी रोपवे का निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष में इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
- ✓ खैर की silviculture felling से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि। 10 Forest Divisions में लगभग 13 हज़ार खैर के पेड़ काटने की योजना। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
- ✓ माननीय न्यायालय से चील के पेड़ काटने की अनुमति के लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ–साथ Eco-System Services की गुणवत्ता भी सुधरेगी।
- ✓ भू–अभिलेखों का अनुवाद संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध विभिन्न भाषाओं में करवाने का कार्य शीघ्र शुरू।
- ✓ शहरी क्षेत्रों में स्थित police stations के प्रांगण अथवा station के आस–पास उनमें कार्यरत police staff के लिए आवासीय सुविधाएं।
- ✓ काँगड़ा के चंगर बड़ोह में sub fire station, मण्डी के कोटली और लडभड़ोल में fire post खोलने तथा ठियोग स्थित fire post को sub fire station में उन्नयन।
- ✓ निरमंड, कुनिहार और उबादेश (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा काँगड़ा के चुहार घाटी में अग्निशमन इकाईयाँ खुलेंगी।
- ✓ विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये किया जाएगा।

- ✓ 'विधायक ऐच्छिक निधि' को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र कर दिया जाएगा।
- ✓ 'विधायक क्षेत्र विकास निधि' के अन्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि 2 करोड़ 20 लाख रुपये।
- ✓ 2024–25 में 1 हज़ार करोड़ रुपये उन कार्यों पर खर्च किए जाएंगे जो पूरा होने के करीब हैं।

******